



CSIR- NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

(Council of Scientific & Industrial Research)

Dr. K.S. Krishnan Marg,

New Delhi-110012

Name of work :- Provision of interlocking block for parking area near TEC Bldg. at NPL Campus.

Important instructions to the tenderers, who intend to use the downloaded version of the tender document.

1. The complete document in the folder to be downloaded and printed on good quality printer. The folder contain the following documents (1 to 69).
 - (a) Notice Inviting Tender.
 - (b) Contract Document, Volume-1 in English & Hindi version.
 - (c) Contract Document, Volume-2 Schedule of Quantity.
2. The tenderers are advised to visit the site before submitting the rates.
3. In clause 17(b) of NIT (in volume-1 of contract document) , the minimum value of the work for intermediate certificate – 2.00 lacs
4. In clause 18 of NIT (in volume-1 of contract document), the material to be supplied by employer shall be NIL.
5. Information required to be filled up in the blank space in NIT, (in volume-1 of contract document), shall be same as NIT on page-2 of the document.
6. All the pages must be signed by the tenderers.



CSIR- NATIONAL PHYSICAL LABORATORY
(Council of Scientific & Industrial Research)
Dr. K.S. Krishnan Marg,
New Delhi-110012

Notice Inviting Tender (04/0016/2014-W&S)

Sealed tenders are hereby invited for the below mentioned work from the contractors, of appropriate class of CPWD/PWD/Railways/MES/other Govt. Dept., and /or from those who have carried out similar works for CSIR and Semi Govt. Dept.

Name of work	Estimated Cost in lac	EMD/Tender Fee (DD in favor of Director NPL, New Delhi)	Time of Completion
Provision of interlocking block for parking area near TEC bldg. at NPL Campus.	Rs. 4.67/- lacs	<u>Rs. 9350/-</u> Rs. 500/-	02 Month

The receipt of applications supported by copies of self attested credentials including registrn., latest S.T. clearance, satisfactory completion certificates, for issue of tenders, shall be stopped by 18/07/2014, 02 PM. Tender documents shall be issued to the eligible firms up to 18/07/2014, 05 PM, from the O/o the undersigned, on payment of tender fee. The firms who have started & completed satisfactorily the minm. one/two/three similar works (Building work) each costing not less than Rs.3.70Lacs/2.35Lacs/1.85Lacs respectively within last seven years ending on 31/05/2014, need only to apply for issue of tenders. The satisfactory completion certificates should indicate the name and scope or work (or any other proof showing similar scope or work), date of start, date of completion & completion cost. Tenders in double seal (tender document & EMD in separate envelope, both envelopes sealed in one envelope) will be received in the O/o undersigned up to 2.30 pm on 21/07/2014 & will be opened on the same day at 3.00 pm in the presence of tenders, if any. The firms who have executed the work for Pvt. Organisations are necessarily to produce T.D.S. certificates & registrn. in appropriate class, for issue of tenders. The validity of tender will be 90 days after opening of the same. For any dispute arising in between the contract agreement, latest CPWD norms will be followed. Conditional tenders, tenders without full earnest money in required form, & tender with use of fluid, are liable to be rejected.

The tender document may also be downloaded from website www.nplindia.org. The Tender document will be available for downloading upto last date & time of issue of tender. In case the contractors want to use the downloaded version of tender document, Ist envelope will contain tender fee, EMD & contractor's credentials as above. The contractor is to indicate the name & telephone nos. of issuing agency of the completion certificates to enable to TOC to verify the documents, if necessary.

IInd envelope will contain complete tender document. For downloaded tenders, the tender documents of only those firms will be opened, whose credentials are found in order and to the satisfaction of Tender Opening Committee. The downloaded tenders with incomplete /doubtful credentials, shall be straightway rejected. No further clarification will sought from the tenderer. Tenderers who opted downloaded version for tender must ensure that all the prints of downloaded documents should be of good quality. Incomplete/Vogue/poor quality printed documents will not be accepted. The decision of TOC in the matter will be final. The NIT is also available at website www.nplindia.org.

Corrigendum/Addendum, if any, will be on www.nplindia.org only.

Sr. S.E. & Head SASD-04

संविदा प्रलेख
CONTRACT DOCUMENTS

खण्ड 1
VOLUME - 1

संविदा कार्य के लिए शर्तें
CONDITIONS OF THE CONTRACT FOR WORKS

कार्य का नाम
Name of work

जिस एजेंसी को जारी किया गया
Agency to whom issued



सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
नई दिल्ली-110012

CSIR-National Physical Laboratory
New Delhi-110012

संविदा प्रलेख
CONTRACT DOCUMENTS

खण्ड 1
VOLUME - 1

संविदा कार्य के लिए शर्तें
CONDITIONS OF THE CONTRACT FOR WORKS

कार्य का नाम
Name of work

जिस एजेंसी को जारी किया गया
Agency to whom issued

सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
नई दिल्ली-110012
CSIR-National Physical Laboratory
New Delhi-110012

**CSIR-National Physical Laboratory
New Delhi-110012**

Name of work : _____

TENDER DOCUMENTS TOTAL _____ No. VOLUMES ISSUED TO :-

M/S _____

TENDER FEE DEPOSIT INFORMATION :-

Tender fee _____ deposited vide bank draft/cash
receipt No. _____ dated _____

**Signature of the officer
issuing tender**

EARNEST MONEY DEPOSIT INFORMATION :-

(Note : Please check the form of EMD required from page 1 point 7)

Earnest money for Rs. _____ deposited in form of cash receipt/
crossed demand draft/Pay order/Bank gurantee _____ drawn
in the favour of Director, NPL, New Delhi has been enclosed in separate envelope with the tender.

Signature of the contractor

Note : The contractor is required to sign every page of this document

CONTENTS

	PAGE No.	
I	NOTICE INVITING TENDER	1
II	ARTICLES OF AGREEMENT	4
III	GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT	5
	CLAUSE: 1. INTERPRETATION	5
	2. DRAWINGS & SPECIFICATIONS	5
	3. CONTRACTOR TO PROVIDE EVERYTHING NECESSARY	6
	3A SUFFICIENCY OF TENDER	7
	4. AUTHORITIES NOTICES & PAYMENTS	7
	5. RATES TO INCLUDE ALL TAXES	7
	6. MATERIALS	8
	7. TESTING OF MATERIALS	9
	8. CONTRACTOR'S ENGINEER / FORMAN & WORKMAN	9
	9. ACCESS	9
	10. VARIATION & PRICE FOR VARIATION	10
	11. FAULTY MATERIALS WORKMAN SHIP & DEFECTS AFTER COMPLETION	10
	12. WORKS TO BE OPEN FOR INSPECTION	11
	13. ASSIGNMENT OR SUB-LETTING	12
	14. INDEMNIFYING AGAINST DAMAGES TO PERSONS PROPERTY & STATUS	12
	15. LIEN IN RESPECT OF CLAIMS IN OTHER CONTRACTS	13
	16. WITHHOLDING & LIEN IN RESPECT OF SUMS CLAIMED	13
	17. INCASE OF DEATH OF CONTRACTOR	14
	18. SUB-CONTRACTORS	14
	19. COMPLIANCE TO LABOUR LAWS & APPRENTICE ACT	15
	20. COMPENSATION FOR DELAY	15
	21. DAMAGES TO WORKS IN CONSEQUENCE OF HOSTILITIES OR WAR LIKE OPERATIONS	15
	22. EXTENSION OF TIME	16
	23. SUSPENSION OF WORK BY CONTRACTOR	16
	24. SECURED ADVANCE	18
	25. CERTIFICATES & PAYMENTS	18
	26. SECURITY DEPOSIT	19
	27. COMPLETION CERTIFICATE	20
	28. ESCALATION	20
	29. ARBITRATION	22
	30. DISMANTLED MATERIAL	23
	31. PERFORMANCE GUARANTEES	23
IV.	SPECIAL CONDITIONS FOR CEMENT & STEEL	24
V.	ADDITIONAL CONDITIONS	25
VI.	INDENTAURE FOR SECURED ADVANCE	26
VII.	PEFORMACE GUARANTEE .	29
VIII.	CONTRACTOR'S SITE SUPERINTENDENCE ANNEXURE III	30

NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

(Council of Scientific & Industrial Research)

NOTICE INVITING TENDERS

1. Tenders are hereby invited for the work of
.....from contractors of appropriate class of CPWD, Railways, MES, Post & Tele-graph Department and /or from those who have carried out similar works for CSIR and Semi Govt. Organisations amounting to Rs.....(Rupees.....Only) and above. The tenderers are required to produce proof of fulfilling these conditions along with latest Income Tax Clearance Certificate while making request for issue of Tender documents.
2. Estimated Cost is Rs.(Rupees.....only).
3. Time for carrying out the work will be.....and the date of commencement shall be reckoned from the tenth day of issue of award letter.
4. Complete Contract documents to be complied with by the tenderer whose tender may be accepted can be seen at the office of.....
5. Tenders should be on the specified form (Non transferable) which may be obtained from the Office of..... during office hours on payment of Rs..... in cash (Non-refundable), Sale of tenders shall be stopped two days before the date of opening of tenders.
6. Tenders should be submitted in double sealed covers superscribed with the name of the work, date and time of opening written both on the inner and outer envelopes. They will be received upto 3.00 P.M. on and will be opened at 3.30 PM on the same day in the office of.....
.....Tenders should be dropped in the tender box before the closing date and time indicated. In case these are sent by post these should be sent by Regd. post/speed post addressed to Director NPL, New Delhi Tenderers are to ensure that they post the tender well in advance so as to reach before the closing time and date indicated.
7. The Earnest Money amounting to Rs,.....(Rupees.....only) as Demand Draft/Pay Order of a scheduled Bank and drawn in favour of Director NPL New Delhi should accompany the Tender. EMD upto the value of Rs. 10,000/- may deposited in cash and when value of EMD exceeds Rs. 10,000/- then EMD should be deposited in the shape of Demand Draft /Pay Order of scheduled Bank upto the value of Rs. 25 lacs, if EMD amount is in excess of Rs. 25 lacs then the excess amount over Rs. 25 lacs can be accepted in the form of Bank Guarantee issued by a scheduled bank. Tenders received without EMD in appropriate form will be invalid.
8. The Employer does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rates quoted.
9. Canvassing in connection with the tenders is prohibited and the tenders submitted by the contractor who resort to canvassing are liable for rejection.
10. The tenderer shall not be permitted to tender for works in the concerned unit of CSIR in which a relative is posted in the grade between Controller of Administration and Junior

Engineer, (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or subsequently employed by him and who are relatives as mentioned above.

Note:

A person shall be deemed to be a relative of another if and only if, (a) they are members of a Hindu undivided family; or (b) they are husband and wife; or (c) the one is related to the other in the following manner: Father, Mother (including step mother), Son (including step son), Son's wife, Daughter (including stepdaughters), Father's father, Son's son, Son's son's wife, Son's daughter, Son's daughter's husband, Daughter's husband, Daughter's son, Daughter's son's wife, Daughter's daughter, Daughter's daughter's husband, Brother (including step brother), Brother's wife, Sister (including step sister), Sister's husband.

11. Tender submitted shall remain valid for 90 days from the date of opening for the purpose of acceptance and award of work, validity beyond 90 days from the date of opening shall be by mutual consent.
12. The tenderer shall quote rates both in figures and words He shall also work-out the amount for each item of work and write in both figures and words. On check if there are differences between the rates quoted by the tenderer in words and in figures or in the amount worked out by him, the following procedure shall be followed:
 - (i) When there is a difference between the rates in figures and in words, the rates which correspond to the amounts worked out by the tenderer shall be taken as correct.
 - (ii) When the amount of an item is not worked out by the tenderer or it does not correspond with the rate written either in figures or in words, the rate quoted by the tenderer in words shall be taken as correct.
 - (iii) When the rate quoted by the tenderer in figures and in words tallies but the amount is not worked out correctly the rate quoted by the tenderer shall be taken as correct and not the amount.
13. The tenderer should see drawings and in case of doubt obtain required particulars, which may in any way influence his tender from the Engineer as no claim whatsoever will be entertained for any alleged ignorance thereof.
14. Before tendering, the tenderer shall inspect the site to fully acquaint himself about the condition in regard to accessibility of site, nature and extent of ground, working condition of site and locality including stacking of materials, installations of tools and plants (T&P) etc., conditions affecting accommodations and movement of labour etc. required for the satisfactory execution of the work contract. No claim whatsoever on such account shall be entertained by the Employer in any circumstances.
15. Earnest money will be forfeited if the contractor fails to commence the work as per letter of award.
16. Except writing rates and amount, the tenderer should not write any conditions or make any changes, additions, alterations and modifications in the printed form of tenders Tenderers who are desirous to offer rebate the same should be brought out separately in the covering letter and submitted along with the tender.
17. Some of the provisions of General Conditions of Contract are given below. Interpretation however shall be as given in the General Conditions of Contract.

(a) DEFECTS LIABILITY PERIOD:

Twelve months from the date of completion as certified by the Employer.

(b) MINIMUM VALUE OF WORK FOR THE INTERMEDIATE CERTIFICATE:

Rs..... (Rupees.....only.)

Intermediate certificate for a lesser amount can be admitted for payment at the discretion of the Engineer.

(c) A sum @ 10% of the gross amount of the bill shall be deducted from each running bill of the contractor till the sum along with the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5% of the tendered value of the work. In addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 5% of the tendered value of the contract as Performance security within the period prescribed for commencement of work in the letter of award issued to him.

(d) **COMPENSATION** : Contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amount as the employer (whose decision in writing shall be final) may decide on the cost of the whole work as shown in the agreement, for every week that the work remains uncommenced or unfinished or due quantity of work remains incomplete after the proper dates. Compensation to be paid shall not exceed 10% of the estimated cost of the work as shown in the agreement.

18. Schedule showing approximate quantity of materials to be supplied by the Employer under Clause : 6 of the General Conditions of Contract for works contracted to be executed and the rates at which they are to be charged for.

Particulars of Materials	Approx Qty.	Rates at which the material will be charged to the contractor			Place of Delivery
		Unit	Rs. (Figures)	Rs. (Words)	

Note :

The Tenderer shall ensure that particulars in the above form are filled in by the Engineer before he submits the tender.

19. For all specialist jobs e.g. lights, air conditioning, Public address, fire protection, security/ surveillance and building management systems, technical (Covering also general conditions and commercial terms) and financial offers will be given separately in two sealed covers.

20. Purchase preference will be given to Central Public sector Enterprise (CPSE) for award of works costing between Rs. 5 crores to Rs. 100 crores as per provisions contained in para 14.6.1 in CPWD Manual 2003 and OM No. DPE/13(12)-2003-Fin. Vol. II dated 18.07.05 issued by department of Public Sector Enterprises, Govt. of India.

ARTICLES OF AGREEMENT

ARTICLES OF AGREEMENT MADE AT _____ this _____ day of _____
BETWEEN the Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi, a Society registered under the Societies Registration Act 1860 (Hereinafter referred to as the Employer, which expression shall include its successors and assignees and authorised officers of the Society) of the one part and _____ trading in the name and style of _____ (herein after referred to as the contractor(s) which expression shall include his their respective heirs, executors, administrators and permitted assignees) of the other part. WHEREAS the Employer is desirous of getting the work of _____ done and has caused drawings, schedule of Quantities and Specifications describing the work to be prepared. AND Whereas the said specifications and the schedule of quantities and other documents have been signed by on behalf of the parties.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERE TO AS FOLLOWS ;

1. In consideration of the payments to be made to them as hereinafter provided the Contractor shall upon and subject to the conditions hereinafter contained execute and complete, the work at the rates specified in the attached schedule of quantities and with such materials as are provided for and in accordance in all respect with specifications, designs, Drawings and instructions in writing. Time for carrying out the work will be _____ and the date of commencement shall be reckoned from the tenth day of issue of award letter
2. The Employer shall pay to the Contractors such sums as shall become payable here under at the times and in the manner specified in the said conditions.
3. This agreement contains the following documents in addition to pages of Articles of Agreement.
 - (i) General Conditions of Contract Page No _____ to _____'
 - (ii) Special Conditions Page No. _____
 - (iii) Additional Conditions Page No. _____
 - (iv) Indenture for Secured Advance Page No _____ to _____
 - (v) Original tender document along with the covering letter of the firm dated _____ Page No. 1 to _____
 - (vi) _____
 - (vii) _____
 - (viii) _____

in witness whereof the parties hereto have set their respective hands the day and year here in above written

SIGNED BY, FOR AND ON BEHALF OF EMPLOYER _____

In the presence of

(1) _____ (2) _____

SIGNED BY THE SAID CONTRACTOR _____

In the presence of

(1) _____ (2) _____

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. INTERPRETATION

- (a) In construing these conditions, the Specifications, the Schedule of Quantities; Tender, Special Conditions and Agreement, the following words shall have the meanings herein assigned to them except where the subject or context otherwise requires.
- (b) This contract shall comprise of the Articles of Agreement, General Conditions of Contract, Special Conditions, Additional Special Conditions, the Schedule of Quantities, Specifications, letter of acceptance of tender and other documents mentioned in the contents sheet attached hereto and including those to which only reference is made herein.

WORK OR WORKS:

Shall mean all work or works defined in schedule of quantities, specifications and such other work or works as the contractor may be entrusted with for carrying out under this contract

"EMPLOYER":

Shall mean Director-General, CSIR or any officer authorized by Director-General for the purpose.

ENGINEER:

Shall mean the Engineer designated by the Employer to superintend and perform other duties as indicated in the contract.

CONTRACTOR:

Shall mean the individual or firm or firms or Company, whether incorporated or not, undertaking the work and shall include the legal personal representative or such individual or the persons composing such Firm or Company or the successors of such Firm or Company and the permitted assignees of such individual or Firm or Firms or Company.

SITE:

Shall mean the site of the contract works including any buildings and erections there on and any ether land adjoining thereto (inclusive) as aforesaid allotted by the Employer or the Engineer for the contractor's use.

COMPENSATION:

Shall mean all sums payable by way of compensation under any of the conditions shall be considered as reasonable compensation without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage sustained, and whether or not any damage shall have been sustained. Words imputing persons include firms and corporations; words imputing the singular only also include the plural and vice versa where the context so required. The headings are given to the clauses for convenience and they will not limit the meaning or scope of the clauses in any way.

2. DRAWINGS AND SPECIFICATIONS

The contractor shall execute whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards material and otherwise in every respect in accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly and faithfully to the design, drawings and

instructions given in the respect of the work by the Engineer. The contractor shall be furnished free of charge one copy of such specifications and all such designs, drawings and instructions as are not included in the printed publications.

3. CONTRACTOR TO PROVIDE EVERYTHING NECESSARY

- (a) The contractor shall provide at his own cost all materials, (except such materials, if any as may in accordance with the contract be supplied by the Employer) plants, tools, appliances, implements, ladders, scaffolding, temporary works, etc. requisite or proper for the execution of the work whether original, altered or substituted and whether included in the specifications or other documents forming part of the contract or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying to the requirements of engineer, as to any manner as to which under these conditions he is entitled to be satisfied together with carriage therefore to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with means and materials necessary for the purpose of setting out works and counting, weighing and assisting in the measurement or examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer at the expense of the contractor and the expenses may be deducted from any money due to the contractor under the contract and/or from his Security Deposit.
- (b) The contractor shall provide himself with requisite quantity and quality of water for carrying out the works at his own cost. If, However, piped water is supplied by the Employer, the contractor shall pay for the water at one percent of the total cost of the work done except on Electrical work, Air-conditioning work and Furniture work. The contractor shall make his own arrangement for water connection and laying of further pipelines from the source of supply of the Employer. It should be clearly understood that the Employer does not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the part of the contractor to make alternative arrangement for water at his own cost in event of any temporary break-down in the water mains so that the progress of work is not held up for want of water. No claim as damages or refund of water charges will be entertained on account of such break-downs. However, if the contractor is permitted to make his own arrangement to draw water from a well, hand-pump, or natural river or pond of the Employer, no charges will be made for the water drawn from the same, but the contractor will make good any damage done to the installations and ensure that the quality of water used in the work is conforming to BIS codes and provide for any treatment at his own cost.
- (c) The contractor shall be allowed to construct temporary wells in Employers' land for taking water for construction purpose only after he has permission of the Employer in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangement to avoid any accident or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accident or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.
- (d) The Employer on no account shall be responsible for the expenses incurred by the contractor for hired ground of water obtained from elsewhere.
- (e) Subject availability the Employer may supply power at only one point from where the Contractor shall make his own arrangement for distribution including provision of electric meters, switches

fuses etc. at his own cost. These shall be in the custody of the Employer. If there is any hindrance caused to other works the contractor shall reroute or remove such temporary lines without any extra cost. Such temporary lines shall be removed after the completion of work. The cost of power consumed by the contractor shall be payable to the employer at rates fixed by the Employer, which would be deducted from the running account bills. However the Employer does not guarantee the supply of power and no compensation for any failure or short supply of power shall be entertained.

3A SUFFICIENCY OF TENDER

The contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to correctness and sufficiency of the tender for the works and the rates and the prices quoted in the schedule of items, which rates and the prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the contract and all matter and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.

4. AUTHORITIES, NOTICES & PAYMENTS

- (a) The contractor shall conform to any regulations and bye-laws of any corporation and of any electricity supply company and authorities with whose systems the structure is proposed to be connected, and shall before making any variations from the drawing and specifications that may be necessitated for so conforming by giving written notice to the Engineer specifying the variations proposed to be made, the reasons for making it and apply for instructions there on. If the compliance with this clause involves any extra work not included in this contract, he shall specify these items of work and the allowance of extra payment required on their account.
- (b) The contractor shall give all notices required by the said regulations or bye-laws to be given to any Authority and pay to such Authority or to any public office all fees that may be chargeable in respect of the works and lodge the receipts with the bill to the Engineer for reimbursement.

5. RATES TO INCLUDE ALL TAXES

- (a) Rates quoted by the contractor shall include sales tax, duties, octroi, toll tax, royalties and all other taxes in respect of this contract and the Employer shall not entertain any claim whatsoever in this respect. Tendered rates are inclusive of all taxes and levies payable under the respective statutes. However pursuant to the Constitution (Forty Sixth Amendment) Act, 1982 if any further tax or levy is imposed by Statutes, after the date of receipt of tenders and the contractor thereupon necessarily and properly pays such taxes, levies the contractor shall be reimbursed the amount as per the rules on producing proof of payment so made provided such payments, if any, is not in the opinion of the Employer (whose decision shall be final and binding) attributable to delay in executing of work within the control of the contractor.
- (b) The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of the Employer and further shall furnish such other information and documents as the Employer may require.
- (c) The contractor shall within a period of thirty days of imposition of any further tax or levy pursuant to the Constitution (Forty Sixth Amendment) Act, 1982 give a written notice thereof to the Employer that the same is given pursuant to this condition together with all necessary information relating thereto.

6. MATERIALS

- (a) If the specifications of schedule of items provide for the use of any material to be supplied by the Employer's stores or if it is required that the contractor shall use certain stores to be provided by the Employer as shown in the schedule of materials hereto annexed, the contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purpose of the contract only and value of the materials so supplied at the rates specified in the said schedule of materials and of the quantities incorporated in the work may be set off or deducted from any sums then due, or thereafter to become due to the contractor under the contract or otherwise or against or from the Security deposit. All materials so supplied to the contractor by the Employer shall remain the absolute property of the Employer and the contractor shall be the trustee of the materials so supplied/procured and the said materials shall not be removed/ disposed of from the site of the work on any account and shall be at all times open for inspection by the Engineer or Employer. The contractor shall bear all incidental charges for cartage, storage and safe custody of all materials and against damage due to dampness, rain, sun, fire and theft and be fully responsible for their storage and maintenance, any such material unused and in perfectly good condition in the opinion of the Employer at the time of the completion of work or termination of the contract, or earlier shall be returned to the Employer at a place directed by the Engineer at contractor's cost and at rates stipulated in the said schedule but in case the Employer decides not to take back the materials the contractor shall have no claim for compensation on account of any such materials supplied to him as aforesaid being unused by him or for any wastage or damage to any such materials.
- (b) If for any reason there is delay or non-supply of material as shown in the schedule, the contractor shall procure the same and complete the work in time after due intimation and approval of the Employer. The difference in price (between his procurement price and price shown in the schedule) shall be paid to the contractor. However in case approval of the Employer is not given, only suitable extension of time would be considered and no other claim of compensation/damages shall be payable by the Employer.
- (c) After completion of the work or on determination/termination of the contract, the theoretical quantity of cement to be used in work shall be calculated on the basis of statement showing quantity of cement to be used in different items of work provided in current Schedule for the purpose printed by CPWD. In case any item is executed for which the standard constants for the consumption of cement are not available in the above mentioned statement or cannot be derived from this statement, the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer. Over this theoretical quantity of cement, shall be allowed a variation upto 3% plus/minus for works estimated cost of which as put to tender is not more than Rs. 10 lakhs and upto 2% plus/minus for works estimated cost of which as put to tender is more than Rs. 10 lakhs. The difference in the quantity actually issued to the contractor and the theoretical quantity including authorised variation, if not returned by the contractor, shall be recovered at twice the issue rate, without prejudice to the provision of the other conditions regarding return of materials governing the contract. In the event of its being discovered that the quantity of cement which is less than the quantity ascertained as herein before provided (allowing variation on minus side as stipulated above) the cost of quantity of cement not so used, shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rates and cartage to site.
- (d) The provision of foregoing sub-clause shall apply Mutatis - Mutandis in the case of steel reinforcement or structural steel sections (each diameter/section or category shall be considered sepa-

rately) except that the theoretical quantity of the steel shall be taken as the quantity required as per design or as authorised by the Engineer, including lappages, plus 3% wastage due to cutting into pieces. Over this theoretical quantity 2% plus/ minus shall be allowed as variation due to wastage.

- (e) The provision of foregoing sub-clause shall apply Mutatis - Mutandis in the case of cables (other than under - ground cables), wires, conduits/GI pipes, GI/MS sheets used in various items of work shall be calculated on the basis of measurements recorded in the measurement books for the purpose of payment and for assessing the consumption of materials used in the works. Over this quantity a variation of 5% plus shall be allowed for wastage of materials during execution in case cables (other than underground cables), wires, conduits/GI pipes, and 10% plus in case of GI/MS sheets.
- (f) The provisions made-above are without prejudice to the right of the Employer to take action against the contractor under the conditions of the contract for not doing the work according to the prescribed specifications.
- (g) "In case of easy availability of approved quality of cement and steel in the open market it will be Employer's discretion to make these items as contractor's supply".

7. TESTING OF MATERIALS

The contractor shall provide assistance, instruments, materials, labour and any other arrangement normally required for testing, checking of materials and workmanship as "stipulated in the specifications and by statutory authority at his own cost. The Employer has the right to appoint the testing authorities. The contractor shall pay for the cost of test samples, its packing, transportation including testing fees. Failing his so doing, the same shall be provided by the Engineer at the expense of the contractor and the expenses may be deducted from any money due to the contractor under the contract and/or from the Security Deposit or proceeds thereof or of a sufficient portion thereof.

8. CONTRACTOR'S ENGINEER/FOREMAN & WORKMEN

- (a) The contractor shall give all necessary personal superintendence during the execution of the work and as long thereafter as the Engineer may consider necessary until the expiration of Defect Liability Period. The contractor shall employ competent Site-Engineer/ Foreman as per CPWD norms and as approved by the Engineer whose qualification must conform to the requirement specified by the Engineer who shall be constantly in attendance of the work while the men are at work. Any directions, explanations, instructions or notices given by the Engineer to such Site-Engineer or Foreman or any other authorised agent shall be held to be given to the contractor.' "Annexure (i) refers,"
- (b) The contractor shall on the direction of the Engineer immediately dismiss from the works any person employed there on who may in the opinion of the Engineer be unsuitable or incompetent or who may in the opinion of the Employer misconduct himself.

ACCESS

- (a) The Engineer, and the Employer or its representative shall at all reasonable time have free access to the works and/or workshops, factories or other places the materials are being prepared or constructed for the contract and also to any place where the materials are lying or from which they are being obtained and the contractor shall give every facility to them for inspection. Except the representatives of statutory authorities and those mentioned above no other person shall be allowed on the works at any time without the permission of the Engineer.

- (b) If any work is to be done at a place other than the site of works, contractor shall obtain written permission of the Engineer.

10. VARIATION & PRICE FOR VARIATION

- (a) The Engineer with the approval of the Employer shall have power to make any alterations / omissions / additions and / or substitutions from the original specifications, drawings, designs, and written instructions and such alterations, omissions, additions, substitutions shall not invalidate the contract and any altered, additional, or substituted work which the Contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the work shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects on which he agreed to do the main work. The rates for such altered, additional or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order.
- (b) If the rates for the altered, additional, substituted work are specified in the contract for the work, the contractor is bound to carry out the altered, additional, or substituted work at the same rates as are specified in the contract for the work.
- (c) If the rates for the altered, additional, or substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.
- (d) If the rates for the altered, additional, or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clause (b) and (c) above, then the contractor shall, within 10 working days from the date of receipt of the order to carry out the work through notice in writing, inform the Engineer of the rate which it is his intention to charge for such class of work, supported by analysis of the rate claimed which shall be based on actual cost of work plus 10% as contractor's profit and overheads except in case of departmental materials for which contractors profit and overheads shall be 2.5%. When such notice has been given, the Engineer with the consent of the Employer may agree to such a rate but if the Engineer does not agree to the contractors rate the Engineer may cancel his order to carry out such class of work and arrange to carry out in such a manner as he may consider advisable.
- (e) Under no circumstances, the contractor shall suspend the work on the plea of non Settlement of rates of Items falling under the clause.

(f) "Deviation limits"

Building work.	30%
Maintenance/Emergency work	50%
Foundation works	100%
Services work	30%

11. FAULTY MATERIALS, WORKMANSHIP & DEFECTS AFTER COMPLETION

- (a) The Engineer shall have powers to require the removal from the site of all materials and

work which in his opinion are not in accordance with specifications and in case of default, the Engineer shall be at liberty to employ other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials to be substituted thereof and in case of default the Engineer may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and / or substitution are to be borne by the contractor.

- (b) If it shall appear to the Engineer or to the employer based on audit / technical examination that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskilful workmanship or with materials of any inferior description, or that any materials or articles provided by him for the execution of the work are unsound or of a quality inferior to that contracted for or otherwise not in accordance with the contract, any defects shrinkage or other faults which may appear within the defects liability period of twelve months from the date of completion arising in the opinion of the Engineer, the contractor shall on demand in writing which shall be made within twelve months of the completion of the work from the Engineer specifying the work, materials articles defects or other faults complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for, forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own cost. In case of any such failure, the Engineer may rectify or remove or re-execute the work or remove and replace with others, the material or articles complained of as the case may be at the risk and cost in all respects of the contractor.
- (c) In lieu of rectifying the work not done in accordance with the contract, the Employer may, allow such work to remain, and in that case make allowance for the difference in value, together with such further reduction as in his opinion may be reasonable.
- (d) Provided always that nothing in this clause shall relieve the contractor from his liability to execute the works in all respects in accordance with the terms and conditions of this contract, or from his liability to make good all defects.

12. WORKS TO BE OPEN FOR INSPECTION

- (a) All work under or in course of execution or executed in pursuance of the contract shall at all times be open to the inspection and supervision of the Engineer and the contractor shall at all times during the usual working hours, and at all other times at which reasonable notice of the intention of the Engineer to visit the works shall have been given to the contractor, either himself be present to receive order and instruction or have a responsible agent duly a credited in writing present for that purpose.
- (b) The contractor shall give not less than seven days notice in writing to the Engineer before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond the reach of measurement, any work without the consent in writing of the Engineer and the Engineer shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Engineer's consent obtained the same shall be uncovered at the contractors expense or in default thereof no payment or allowance- shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

13. ASSIGNMENT OR SUB-LETTING

- (a) The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Employer. And if the contractor shall assign or sub-let his contract or attempt to do so or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so or if any bribe, gratuity or gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor or any of his servants or agents to any person in the employment of the Employer in any way relating to his office or employment, or if any such employee or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Employer shall have the power to adopt any of the courses specified under clause 23 as may be best suited to the interest of the Employer and in the event of any of the courses being adopted the consequences specified in the said clause shall ensure.
- (b) Where the contractor is a partnership firm, the approval in writing of the Employer shall be obtained before any changes in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement hereunder the partnership firm would have the right to carry out the work hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned or sublet in contravention of clause 13(a) and the same action may be taken and the same consequences shall ensue as provided in the said clause 13(a).

14. INDEMNIFYING AGAINST DAMAGES TO PERSONS, PROPERTY & STATUS

The contractor shall take all precautions to avoid all accidents by exhibiting necessary caution boards day and night, speed limit boards, red flags, red lights and providing barriers. He shall be responsible for all damages and accidents caused due to negligence on his part. No hinderance shall be caused to traffic during the execution of work.

- (a) The contractor shall be responsible for all injury to persons, animals or things, and for all damage, whether such injury or damage arises from carelessness or accident in any way connected therewith. This clause shall be held to include interalia any damage due to causes as aforesaid to work, building (whether immediately adjacent or otherwise) and to roads, streets, foot paths, bridges or ways as well as all damage caused to the buildings and works forming the subject of this contract by inclemency of weather. The contractor indemnifies the Employer and holds him harmless in respect of all expenses arising from such injury or damages as aforesaid and also in respect of any award of compensation or damage consequent upon such claim including legal costs.
- (b) The contractor shall reinstate all damage of every sort mentioned in this clause, so as to deliver the whole of the contracted works complete and perfect in every respect and so as to make good and otherwise satisfy all claims for damage as aforesaid to the property of third parties.
- (c) The contractor also indemnifies the Employer against all claim which may be made upon the Employer for acts during the currency of this contract by any employee or representative of an employee of the contractor or any sub-contractors, employed by him, for any injury to or loss of life, of such employees, or for compensation payable under any law for the time being in force to any workmen or to the representative of any deceased or incapacitated workmen.

- (d) The contractor also indemnifies the Employer against all claims which may be made upon the Employer for acts during the currency of this contract by the Central/State Government or local Municipal authorities for the non Compliance of any laws, regulations, rules pertaining to wages act, safety act in force and any amendments thereof in respect of all labour and apprentices directly or indirectly employed in the work under this contract.
- (e) The Employer shall be at liberty and is hereby empowered to deduct the amount of any damages, compensation cost, charges and/or expenses arising or accruing from or in respect of any such claim and / or damages as aforesaid from any sum or sums due or to become due to the contractor or security deposit.
- (f) The contractor shall indemnify the Employer against any action, claim or proceedings relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against the Employer in respect of any such matters as aforesaid the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise therefrom. Provided that the contractor shall not be liable to Indemnify the Employer if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the said Employer or his authorised representative.

15. LIEN IN RESPECT OF CLAIM IN OTHER CONTRACTS

- (a) Any sum of money due and payable to the contractor including the security deposit under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Employer or Government or any other contracting persons or persons against any claim of the Employer or Government or such other persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Employer or Government or with such other persons.
- (b) It is agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Employer will be kept withheld or retained as such by the Employer or till his claim arising out of in the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the Arbitrator if the contract is governed by arbitration clause or by the competent court as the case may be, and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

16. WITHHOLDING & LIEN IN RESPECT OF SUMS CLAIMED

- (a) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract against the contractor, the Employer shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security deposit, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Employer shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalisation or adjudication of any such claim. In the event of the security deposit being insufficient

to cover the claimed amount or amounts or if no security deposit has been taken from the contractor, the Employer shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to the contractor under the same or any other contract, with the Employer or and contracting person pending finalisation or adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under the lien referred above, by the Employer will be kept withheld or retained as such by the Employer till that claim arising out of or under the contract is determined by the Arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) or by the competent court as the case may be and the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company the Employer shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum payable to any Partner/Limited company, as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

- (b) The Employer shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been over paid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed by him to have been done by him under the contract and found not to have been executed the contractor shall be liable to refund the amount of overpayment and it shall be lawful for the Employer to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (a) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by the Employer to the contractor.

Provided that the Employer shall not be entitled to recover any sum over-paid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Employer on the one hand and the contractor on the other hand, under any term of contract permitting payment for work after assessment, by the Employer.

17. IN-CASE OF DEATH OF CONTRACTOR

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Employer shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

18. SUB-CONTRACTORS

The Employer reserves the right to use the premises and any portion of the site for the execution of any work not included in the contract. The contractor is to afford all reasonable facilities to all subcontractors, specialists, merchants, tradesmen and others who may at any time

be appointed by the Employer for executing any work or supplying any goods relating to the constructions, servicing, equipping or furnishing of the work under this contract.

19. COMPLIANCE TO LABOUR LAWS & APPRENTICE ACT

The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum wages Act, 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and rules and orders framed thereunder and other labour laws affecting contract labour and Apprentices Act, 1961 and the rules and orders framed thereunder that may be in force or brought into force from time to time.

"Contractor shall obtain a valid licence under Contract Labour (R & A) Act 1970 and Contract Labour (R & A) Central Rule 1971 before commencing work and which should be valid till the completion."

20. COMPENSATION FOR DELAY

(a) The time for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be deemed to be the essence of the contract on the part of the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Employer (whose decision in writing shall be final) may decide on the amount of the whole work as shown in the agreement, for every week that the work remains uncommenced or unfinished after the proper dates.

(b) And further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month (save for special jobs) to complete one-eighth of the whole of the work before one-fourth of the whole time allowed under the contract has elapsed; three eighths of the work before one-half of such time has elapsed, and three-fourths of the work before three-fourths of such time has elapsed. However for special jobs if a time schedule has been submitted by the contractor and the same has been accepted by the Employer, the contractor shall comply with the said time schedule. In the event of the contractor failing to comply with this condition, he shall be liable to pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Employer (whose decision in writing shall be final) may decide on the said cost of the Work for every week that the due quantity of work remains incomplete. Provided that the entire compensation to be paid under the provisions of this clause shall not exceed ten per cent on the cost of the work as shown in the agreement.

21. DAMAGE TO WORKS IN CONSEQUENCE OF HOSTILITIES OR WAR-LIKE OPERATIONS

(a) The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Employer and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or war-like operations, the contractor shall, when ordered in writing by the Employer, remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking, removal of

serviceable materials and for the reconstruction of all works ordered by the Employer such payment being in addition to compensation upto the value of the work originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for the compensation shall be assessed by the Employer. The contractor shall be paid for the damage/destruction suffered and for restoring the material at the rates based on the analysis of rates tendered for in accordance with the provision of this agreement. The certificate of the Employer regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on the contractor.

- (b) Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or war-like operations (i) unless the contractor had taken all such precautions against Air Raid as are deemed necessary by the A.R.P. Officers or the Employer, (ii) for any materials etc., not on the site of the work or for any tools and plant, machinery, scaffolding, temporary buildings and other things not intended for the work.
- (c) In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Employer.

22. EXTENSION OF TIME

- (a) If the contractor shall desire an extension of time for the completion of the work on the grounds of his having been unavoidably hindered in its execution or any other ground, he shall apply in writing to the Employer within thirty days of the date of hindrance on account of which he desires extension-as aforesaid, and the Employer shall, if in his opinion (which shall be final) reasonable grounds shown therefor, authorise such extension of time if any, which may, in his opinion, be necessary or proper.
- (b) In the event, the value of work exceeds the value of the Bill of Quantities owing to variations the contractor shall be entitled to ask for extension of time in proportion to the increased value of work.

23. SUSPENSION OF WORK BY CONTRACTOR

- (a) The Employer may without prejudice to his right against the contractor in respect of any delay or inferior workmanship or otherwise or to any claims for damages in respect of any breaches of the contract and without prejudice to any rights or remedies under any of the provisions of this contract or otherwise and whether the date for completion has or has not elapsed by notice absolutely determine the contract in any of the following cases:
 - i) if the contractor having been given by the Engineer a notice to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in any inefficient or otherwise improper or unworkman-like manner shall omit to comply with the requirements of such notice for a period of seven days thereafter or if the contractor shall delay or suspend the execution of the work so that in the judgment of the Employer (which shall be final and binding) he will be unable to ensure completion of the work by the date for completion or he has already failed to complete the work by that date.

- ii) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be bound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court of creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a binding up order.
 - iii) If the contractor commits breach of any of the terms and conditions of this contract,
 - iv) If the contractor commits any acts mentioned in Clause -13 thereof.
- (b) When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Employer shall have the following powers:
- i) To determine or rescind the contract as aforesaid (of which termination or rescission notice in writing to the contractor under the hand of the Employer shall be conclusive evidence). Upon such determination or rescission the security deposit of the contractor shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Employer.
 - ii) The Engineer may employ labour paid by the Employer and to supply materials to carry out the work or any part of the work debiting the contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price certified by Engineer shall be final and conclusive against the contractor) and crediting him with the value of the work done in all respects in the same manner and at the same rates as if it had been carried out by the contractor under the terms of his contract. The certificate of the Engineer as to the value of the work done shall be final and conclusive against the contractor, provided always that action under the sub-clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the Employer are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference should not be paid to the contractor.
 - iii) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which exceed the certificate in writing of the Engineer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by the Employer under this contract or any other account whatsoever or from his security deposit.
 - iv) In the event any one or more of the above courses being adopted by the Employer the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of

the contract. And in case action is taken under any of the provisions aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Engineer has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

24. SECURED ADVANCE

The contractor on signing an indenture in the form specified by the Employer during the progress of the execution of the work-may be paid if agreed by the Employer Upto 75 per cent of the estimated value which shall take into account the market value and contractors tendered rates for the finished item of any material which in the opinion of the Engineer is likely to be incorporated in the work within next three months, are non perishable and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this clause are incorporated in the work the amount of such advance shall be deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

25. CERTIFICATES & PAYMENTS

- (a) No payments shall be made for a work estimated to cost Rupees ten thousand or less till the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. But in the case of a work estimated to cost more than Rupees ten thousand, the contractor shall, on submitting the bill be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part of the work executed, and to the satisfaction of the Engineer, whose certificate of the sum so payable shall be final, and conclusive against the contractor, provided the amount of work done is as per the value of intermediate certificate or for a lesser amount at the discretion of the Engineer as mentioned in the NIT. All such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not as payments for work actually done and completed and shall not preclude the requiring of bad, unsound, imperfect or unskilled work to be removed and taken away and reconstructed, or reerected or be considered as an admission of the due performance of the contract, of any part thereof in any respect or the accruing of any claim nor shall it conclude, determine, or affect in any way the powers of the Employer under these conditions or any of them as to the final settlement and adjustment of the accounts or in any other way vary or affect the contract. The final bill shall be submitted by the contractor within two months of the date fixed for the completion of the work or of the date of the certificate of completion furnished by the Employer and payment shall be made within three months if the value of the completed works is Upto Rs. 2 lakhs and in six months if the same exceeds Rs. 2 lakhs of the submission of such bill, if there shall be any dispute about any item or items of the work then the undisputed item or items only shall be paid within the said period of three months or six months as the case may be.
- (b) Whenever there is likely to be delay in recording detailed measurements for making a running payment, advance payment without detailed measurements for work done worked out at 75 per cent of the tendered rates for assessed quantities may be made in running account bills by the Employer on the basis of a certificate from the Engineer. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent running bills by taking detailed measurements thereof. Final payments shall be made only on the basis of detailed measurements.
- (c) A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the

Engineer on printed forms obtainable from the Engineer's office. The Engineer shall take or cause to be taken the requisite measurements for the purpose of having the same verified and the claim, as far as admissible, adjusted as far as possible, before the expiry of ten days from the presentation of the bill. If the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid the Engineer may cause action within seven days of the date fixed as aforesaid, an authorised representative to measure up the said work in the presence of the contractor whose signature to the measurement will be sufficient warrant and the Engineer may prepare the bill from such measurements.

- (d) Before taking any measurement of any work the Engineer or his authorised representative deputed by him shall give reasonable notice to the contractor. If the contractor fails to attend after such notice or fails to sign or to record the difference within a week from the date of measurement in the manner required by the Engineer then in any such event the measurements taken by the Engineer or by the authorised representative deputed by him as the case may be, shall be final and binding on the contractor and the contractor shall have no right to dispute the same.
- (e) The charges in the bills shall always be entered at the rates specified in the agreement or in the case of any extra work ordered in pursuance of these conditions and not mentioned or provided for in the agreement at the rate determined as per clause -10. However in case of partially executed items of Work, the Employer at his discretion allows proportionate rates for such items of work as determined by the Engineer whose certificate of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor.

26. SECURITY DEPOSIT

- (a) A sum @ .10% of the gross amount of the bill shall be deducted from each running bill of the contractor till the sum along with the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5% of the tendered value of the work. In addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 5% of the tendered value of the contract as Performance security within the period prescribed for commencement of work in the letter of award issued to him.
- (b) In case a fixed deposit receipt of any scheduled bank is furnished by the contractor to the Employer as part of the security deposit and the bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Employer to make good the deficit of such sum from the running bill as mentioned above. Such deductions will be held by the Employer by way of security deposit, provided always that the Employer for this purpose shall be entitled to recover the said percentage of the amount from each running bill till the balance of the amount of security deposit is released. All compensation or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from the security deposit or from the interest arising therefrom or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by the Employer on any account whatsoever and in the event of his security deposit being reduced by reason of any such deductions aforesaid, the contractor shall within ten days make good in cash or further fixed deposit receipt pledged in favour of the Employer. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money if deposited at the time of tenders will be treated as part of the security deposit.

- (c) The contractor if he so desires may furnish fixed deposit receipt in advance towards the security deposit. Such fixed deposit receipt shall be of a minimum value of Rs 25000/-each (The last such fixed deposit receipt could be of a lower value on the basis of the amount). In case any recovery is effected from running account bills, such recovered amount shall not be replaced with fixed deposit receipt. It is in the contractor's interest to keep a watch about the adequacy of the fixed deposit receipt submitted.
- d) No partial refund of security deposit shall be made during the defect liability period. In case the final bill is not settled within stipulated period for reasons beyond control and the Employer is satisfied that the security deposit is not required for adjustment of Employer's dues or whatsoever dues either in this or any other contract then this security deposit either in full or in part could be refunded at the sole discretion of the Employer. "However, release of security deposit would be only after written clearance of Labour Officer regarding no dues or claims is received.
- e) In case of termination of contract, this security deposit shall be forfeited and amount necessary to make up this amount shall be recovered from money due to the contractor under this contract, or any other contract with the Employer.

27. COMPLETION CERTIFICATE

Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Employer and within ten days of the receipt of such notice the Engineer shall inspect the work. If there is no defect in the work the Employer shall furnish the contractor with a certificate of completion otherwise a certificate of completion indicating defects shall be issued but the work shall not be considered to be completed until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all the scaffolding, surplus material, rubbish, and all huts and sanitary arrangements required for his work, people on site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor and cleaned of the dirt, splashes, droppings of finishing items from all wood work, doors, windows, walls, floors or other parts of any building, in, upon or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution thereof. If the contractor shall fail to comply with requirements of this clause on or before the date fixed for the completion of the work, the Employer may at the risk and cost of the contractor take action as he may think fit and the contractor shall have no claim except for any sum actually released by the sale thereof.

28. ESCALATION

- (a) Escalation :- If the prices of materials not being supplied by the Employer and/or wages of labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provision detailed below and the amount of the contractor shall accordingly be varied, subject to the condition that compensation for escalation in prices shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including such period for which the contract is validly extended under the provision of clause 22 of General Conditions of Contract without levy of compensation under Clause 20 of General Condition of Contract and also subject to the condition that no such compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of completion is eighteen months or less. Such compensation for escalation in the prices of materials and labour when due, shall be worked out based on the provision.

- i) The base date for working out such escalation shall be the last date on which the tenders were stipulated to be received.
- ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as 85% of the cost of the work as per the bills, running or final, and from this amount the value of material supplied by the Employer and proposed to be recovered in the particular bill shall be deducted before the amount of compensation for escalation is worked out. In case of materials brought to site for which secured advance is included in the bill full value of such materials as assessed by the Engineer in charge (and not the reduced amount for which secured advance has been paid), shall be included in the cost of work done for operation of this clause. Similarly when such materials are incorporated in the work, the secured advance is deducted from the bill the full assessed value of the materials originally considered for operation of this clause shall be deducted from the cost of work shown in the bill running or final. Further the cost of work shall not include any work for which payment is made for any item at prevailing market rates.
- iii) The compensation for escalation for materials & labour shall be worked out as per the formula given below:

$$VM = W \frac{A}{100} \times \frac{(MI-MIO)}{MIO}$$

VM - Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered

W- Cost of work done worked out as indicated in sub para (ii) above

A - Component of materials expressed as per cent of the total value of work and is predetermined as 75.

MI - Index numbers of wholesale prices in India for all commodities published by Reserve Bank of India for the period under reckoning.

MIO - Index numbers of Wholesale prices in India for all commodities published by the Reserve Bank of India on the date of receipt of tenders.

$$VL = W \frac{B}{100} \times \frac{(LI-LIO)}{LIO}$$

VL- Variation in labour cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered,

W- Value of work done, worked out as indicated in sub para (ii) above.

B- Component of labour expressed as per cent of the total value of work and is predetermined as 25.

LI- All India consumer price index numbers for industrial workers published by the Reserve Bank of India for the period under reckoning as for the period under consideration.

LIO-All India consumer price index numbers for industrial workers published by the Reserve Bank of India and valid on the stipulated date of receipt of tenders.

- (b) The following principle shall be followed while working out indices mentioned in sub para (iii) above.

- i) The compensation for escalation shall be worked out at half yearly intervals and shall be with respect to the cost of work done during the six calendar months of the said work. The first such payment shall be made at the end of the six months after the month (excluding) in which the tender was accepted and thereafter at six monthly interval. At the time of completion of work, the last period for payment might become less than six months, depending on the actual date of completion.

- ii) The index (MI or LI) relevant to any six months for which such compensation is paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the six calendar months. If the period upto date of completion after the six months covered by the last such installment of payment, is less than six months, the index MI or LI shall be the average of the indices for the months falling within that period.
 - iii) The base index (MIO or LIO) shall be the one relating to the month in which the tender was stipulated to be received.
- (c) In the event the price of materials and or wages of labour required for execution of the work decreases there shall be downward adjustment of the cost of work so that the price of materials and / or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard formula herein before stated under this clause shall mutatis mutandis apply, provided that no such adjustment for the decrease in the prices of materials and / or wages of labour aforementioned would be made in case of contracts in which the stipulated period of completion of the work is eighteen months or less.
- (d) Employer shall have the discretion to permit the IEEMA (Indian Electrical & Electronics Manufacturers Association) clause for escalation in case of specialised works e.g. lifts and electrical and mechanical installations etc, where the price variation is not similar to building works.

29. ARBITRATION

- (a) Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes relating to the interpretation of the specifications, designs, drawings and instructions herein before mentioned, and as to the quality or workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, specifications, estimates, instructions, orders-on these conditions or otherwise concerning the works, or the execution or failure to execute the same, whether arising during the progress of the work or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director-General, Council of Scientific and Industrial Research. The arbitrator shall be appointed within 30 days from the receipt of a request by any party. The arbitrator to whom the matter is originally referred, being unwilling or unable to act for any reason, the Director-General shall appoint another person to act as of Arbitrator in accordance with the terms of the contract, such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. The arbitrator shall give a speaking award. The award of the Arbitrator shall & final and binding on the parties. The cost of the Arbitrator shall be borne equally by both the parties.
- (b) It is also a term of the contract that the party invoking arbitration shall specify the dispute or disputes to be referred to arbitration under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute.
- (c) It is also a term of the contract that if the contractor does not make any demand for arbitration in respect of any claim in writing within 90 days of receiving the intimation from the Employer that the

final bill is ready for payment, the claim of the contractor will be deemed to have been waived and absolutely barred and the Employer shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.

- (d) Subject as aforesaid the provisions of the Arbitration and conciliation Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and the time being in force shall apply to the arbitration reference under this clause. -

30. DISMANTLED MATERIAL

The contractor shall treat all material obtained during dismantling of a structure, services sub system/installations, excavation of the site for a work etc., as Employer's property and such material shall be disposed of to the best advantage of the Employer according to instructions issued in writing by the Engineer.

31. PERFORMANCE GUARANTEE

Performance Guarantee may be taken from the Contractor before the award of work, by the officer authorised to award the contract, if and where considered necessary, to ensure that a part or whole of the contract is completed by the contractor. In case of non-performance, this guarantee could be encashed.

***** SPECIAL CONDITIONS *****

1. These special conditions are meant to amplify the general specifications and general conditions of contract.
2. In case of any discrepancy, the order of precedence in interpretation shall be as under :-
 - i) Schedule of quantities.
 - ii) Drawings.
 - iii) Additional Conditions.
 - iv) General Conditions of contract.
 - v) Special Conditions,
 - vi) Additional Technical Specifications
 - vii) CPWD latest civil and Electrical specifications,
 - viii) I.S. codes,
 - ix) International codes.
 - x) Best Engineering practice.

STEEL

1. The Contractor shall procure steel reinforcement bars conforming to relevant BIS codes from reputed manufactures (or their authorised dealers) as approved by Engineer-in-Charge. The contractor shall have to obtain and furnish test certificates to the Engineer-in-Charge in respect of all supplies of steel brought by him to the site of work. Samples shall also be taken and got tested by the Engineer-in-Charge as per the provisions in this regard in relevant BIS codes. In case the test results indicate that the steel arranged by the contractor does not confirm the BIS codes, the same shall stand rejected and shall be removed from the site of work by the contractor at his cost within a week's time from written orders from the Engineer-in-Charge to do so.
2. The steel reinforcement shall be brought to the site in bulk supply of 10 tonnes or more as decided by the Engineer-in-Charge.

3. The steel reinforcement shall be stored by the contractor at the site of work in such a way as to prevent distortion and corrosion and nothing extra shall be paid on this account. Bars of different sizes and lengths shall be stored separately to facilitate easy counting and checking.
4. For checking nominal mass, tensile strength, bend test, rebend test etc., specimen of sufficient length shall be cut from each size of the bar at random at frequency not less than that specified below:

Size of bar	For consignment below 100 tonnes	For consignment over 100 tonnes
Under 10 mm dia	One sample for each 25 tonnes or part thereof,	one sample for each 40 tonnes or part thereof
10 mm to 16 mm dia	One sample for each 35 tonnes or part thereof,	One sample for each 45 tonnes or part thereof
Over 16 mm dia	One sample for each 45 tonnes or part thereof,	One sample for each 50 tonnes or part thereof

5. The contractor shall supply free of charge the steel required for testing. The cost of tests shall be borne by the contractor.
6. The actual issue and consumption of steel of work shall be regulated and proper accounts maintained as provided in Clause 6 of the contract. The theoretical consumption of steel shall be worked out as per procedure in Clause 6 of the contract and shall be governed by conditions laid therein.
7. Steel brought to site and steel remaining unused shall not be removed from site without the written permission of the Engineer-in-charge.

CONDITIONS FOR CEMENT

1. The Contractor shall procure 33 grade (confirming to IS:269) or 43 grade (confirming to IS : 8112) ordinary Portland cement or Portland Pozzolona Cement, as required in the work, from reputed manufacturers of cement (or their authorised dealers) having a production capacity of one million tones per annum or more, such as ACC, L&T, J.P. Rewa, Vikram, Shri Cement, Biria Jute, ambuja and Cement Corporation of India, etc. as approved by Ministry of Industry, Government of India, and holding license to uses ISI certification mark for their product whose name shall be got approved from Engineer-in Charge. Supply of cement shall be taken in 50 kg. bags bearing manufacturer's name and ISI marking, samples of cement arranged by the contractor shall be taken by the Engineer-in -Charge and got tested in accordance with provisions of relevant BIS codes, In case the test results indicate that the cement arranged by the contractor does not conform to the relevant BIS codes, the same shall stand rejected and shall be removed from the site by the contractor at own cost within a week's time of written orders from the Engineer-in-Charge to do so.
2. The cement shall be brought at site in bulk supply of approximately 20 tonnes or as decided by the Engineer-in-charge.
3. The cement godown of the capacity to store a minimum of 800 bags of cement or as decided by Engineer-in-charge, shall be constructed by the contractor at site of work for which no extra payment shall be made. Double lock provisions shall be made to the door of the cement godown. The keys of one lock shall remain with the Engineer-in-charge or his authorized representative and the key of the other lock shall remain with the contractor. The contractor shall be responsible for the watch and ward the safety of the cement godown. The contractor shall facilitate the inspection of the the cement godown by the Engineer-in-charge at any time.
4. The contractor shall supply free of charge the cement required for testing. The cost of the tests shall be borne by the contractor.

5. The actual issue and consumption of cement on work shall be regulated and proper accounts maintained as provided in Clause 6 of the contract. The theoretical consumption of cement shall be worked out as per procedure prescribed in Clause 6 of the contract and shall be governed by condition laid therein.
6. Cement brought to site and cement remaining unused after completion of work shall not be removed from site without permission of the Engineer-in-charge.

ADDITIONAL CONDITIONS

1. The structural and architectural drawings, shall at all times be properly correlated before executing any work. However, in case of any discrepancy in the item given in the schedule of quantities appended with the tender and drawings relating to the relevant item the former shall prevail unless and otherwise given in writing by the Engineer.
2. No payment shall be made to the contractor for any damage caused by rain, snowfall, floods or any other natural cause whatsoever during the execution of work. The damage to work will be made good by the contractor at his own cost, and no claim on this account shall be entertained.
3. All materials used shall be as per specifications and ISI marked wherever applicable. ISI marking referred relate to latest BIS code as published by Bureau of Indian Standards upto 30 days before the date opening the tender.
4. The contractor shall give a performance test of the entire installation(s) as per standard specifications and /or as directed by the Engineer and will also submit. Test Certificates as are required by Municipal / Electrical Authority or any other authority. Nothing extra shall be payable for the same other than the fees paid to such authorities which shall be reimbursed on production of receipts.

INDENTURE FOR SECURED ADVANCE

This indenture made the _____ day of 201_____ between _____ (hereinafter called the contractor which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his heirs, executors, administrators and permitted assignees) of the one part and Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi, a Society registered under the Societies Registration Act 1860 (hereinafter called Employer which expression shall include its successors and assignees and authorised officers of the Society) of the other part.

WHEREAS by an agreement dated _____ (hereinafter called the said agreement) the contractor has agreed AND WHEREAS the contractor has applied to the Employer that he may be allowed advances on the security of material absolutely belonging to him and brought by him to the site of the works the subject of the said agreement for use in the construction of such of the works as he has undertaken to execute at rates fixed for the finished work (inclusive of the cost of material and labour and other charges) AND WHEREAS the Employer has agreed to advance to the contractor the sum of Rs. _____ (Rupees _____) on security of materials the quantities and other particulars of which are detailed in accounts of secured advances attached to the running account Bill for the said works signed by the contractor on _____ and the Employer has reserved to himself the option of making any further advance or advances on the security of other materials brought by the contractor to the site of the said works. Now THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. _____ on or before the execution of these presents paid to the contractor by the Employer (the receipt whereof the contractor do hereby acknowledge) and of such further advances (if any) as may be made to him as aforesaid the contractor do hereby covenant and agree with the Employer and declare as follows:

1. That the said sum of Rs. _____ advanced by the Employer to the contractor as aforesaid and all or any further sum or sums advanced as aforesaid shall be employed by the contractor in Or towards expediting the execution of the said works and for no other purpose whatsoever.
2. That the materials detailed in the said account of secured advance which have been offered to and accepted by the Employer as security are absolutely the contractor's own property and free from encumbrances of any kind and the contractor will not make any application for or receive a further advance on the security of materials which are not absolutely his own property and free from encumbrances of any kind and the contractor indemnifies the Employer against all claims to any materials in respect of which an advance has been made to him as aforesaid.
3. That the materials detailed in the said account of secured advances and all other materials on the security of which any further advance or advances may hereafter be made as aforesaid (herein after called the said materials) shall be used by the contractor solely in the execution of the said works in accordance with the directions of the Engineer and in the term of the said agreement.
4. That the contractor shall make at his own cost all necessary and adequate arrangements for the proper watch, safe custody and protections against all risks of the said materials and that until used in construction as aforesaid the said materials shall remain at the site

of the said works in the contractor's custody and on his own responsibility and shall at all times be open to inspection by the Employer or any officer authorised by him. In the event of the said materials or any part thereof being stolen, destroyed or damaged or becoming deteriorated in a greater degree than is due to reasonable use and wear thereof the contractor will forthwith replace the same with other materials of like quality or repair and make good the same as required by the Engineer.

5. That the said materials shall not on any account be removed from the site of the said works except with the written permission of the Employer or any officer authorised by him on that behalf.
6. That the advances shall be repayable in full when or before the contractor receives payments from the Employer of the price payable to him for the said works under the terms and provisions of the said agreement. However if any intermediate payments are made to the contractor on account of work done then on the occasion of each such payment the Employer will be at liberty to make a recovery from the contractor's bill for such payment by deducting there from the value of the said materials then actually used in the construction and in respect of which recovery has not been made previously, the value for this purpose being determined in respect of each description of materials at the rates at which the amounts of the advances made under these presents were calculated.
7. That if the contractor shall at any time make any default in the performance or observance in any respect of any of the terms of provisions of the said agreement or of these presents the total amount of the advance of the advance or advances that may still be owing to the Employer shall immediately on the happening of such default be repayable by the contractor to the Employer together with interest there on at twelve per cent per annum from the date or respective dates of such advance or advances to the date of repayment and with all costs charges, damages and expenses incurred by the Employer in or for the recovery thereof or the enforcement of this security or otherwise by reason of the default of the contractor and the contractor hereby covenants and agrees with the Employer to repay and pay the same respectively to him accordingly.
8. That the contractor hereby charges all the said materials with the repayment to the Employer of the said sum of Rs. _____ and any further sum or sums advanced as aforesaid and all costs charges, damages and expenses payable under these presents PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that notwithstanding anything in the said agreement and without prejudice to the powers contained therein if and whenever the covenant for payment and repayment herein before contained shall become enforceable and the money owing shall not be paid in accordance therewith the Employer may at any time thereafter adopt all or any of the following courses as he may deem best.
 - (a) Seize and utilise the said materials or any part thereof in the completion of the said works on behalf of the contractor in accordance with the provisions in that behalf contained the said agreement debiting the contractor with the actual cost of effecting such completion and amount due in respect of advances under these presents and crediting the contractor with the value of work -done as if he had carried it out in accordance with the said agreement and at the rates thereby provided. If the balance is against the contractor he is to pay same to the Employer on demand.
 - b) Removed and sell by public auction the seized materials or any part thereof and out of the money arising from the sale retain all the sums aforesaid repayable or payable to the Employer under these presents and pay over the surplus (if any) to the contractor.

(c) Deduct all or any part of the moneys owing out of the security deposit or any sum due to the contractor under the said agreement.

9. That except in the event of such default on the part of the contractor as aforesaid interest on the said advance shall not be payable. In witness where of the said _____ and _____ by the order the under the direction of the Employer have here into set their respective hands the day and year first above written.

Signed sealed and delivered

By the said contractor: _____
in the presence of

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

Signed by: _____

By the order and direction of the Employer: _____

In the presence of

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

PERFORMANCE GUARANTEE

To

Council of Scientific & Industrial Research

1. In consideration of Council of Scientific & Industrial Research (hereinafter) called "The Council" having awarded to M/s _____ a company registered under the Companies Act 1956 (hereinafter) called the contractor, a contract for (hereinafter) called the said contract under the terms and conditions of an Agreement date _____ made between the Council and the Contractor hereinafter called the said agreement and Council agreed to accept a Deed of Guarantee as herein provided for Rs _____ (Rupees only) from a Scheduled Bank towards due performance of the contract by the Contractor as per the terms and conditions of the contract on the condition that the Bank on demand from the Council and without demur pay to the Council the aforesaid amount.
2. We, _____ Bank Ltd., (hereinafter) referred to as bank do hereby undertake to pay to Council and amount not exceeding Rs _____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Council by reasons of any breach or breaches of any of the terms of conditions of the said agreement by the said contractor.
3. We, _____ Bank Ltd., do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this Guarantee without any demur, merely on a demand from the Council by stating the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Council for reasons of any breach by the said contractor(s) of any of the terms & conditions contained in the said Agreement or by reason of the Contractor(s) failure to Perform the said agreement. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _____
4. This guarantee shall come into force immediately and continue in force and remain valid till six months after the completion of all works under the said contract which according to the - terms of the said contract, should be six months from the probable date of completion.viz., the _____ day of _____. If, however, the period of the completion of the works under the said contract is for any reason extended and upon such extension if the Contractor fails, before the terms of this guarantee expire, to furnish a fresh or renewed guarantee for the extended period, the Bank shall pay to Council and said sum of Rs. _____ or such lesser sum as Council may demand.
5. This guarantee shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or of the Contractor.
6. Notwithstanding anything here in before contained, the liability of the Bank under this guarantee is restricted to Rs. _____ (Rupees _____ only) and the guarantee shall remain in force till _____ day of _____ 20 _____ unless claim or demand under this guarantee is presented to the Bank within six months from that date all the rights of Council under this guarantee shall be forfeited and the Bank shall be released and discharged from all obligations hereunder.

CONTRACTOR'S SITE SUPERINTENDENCE

Staff to be Employed by contractor on works: The contractor shall employ the following technical staff during execution of work :-

- (a) For building and road works
 - i) One Graduate Engineer, when the tendered cost of work exceeds Rs: 10 lakhs.
 - ii) One qualified Diploma holder (overseer) with experience not less than 3 years when the tendered cost of work exceeds Rs. 5 lakhs but is less than Rs. 10 lakhs.
 - iii) One qualified Diploma holder when the tendered cost of work is Rs. 2 lakhs but less than Rs. 5 lakhs.
- (b) For sanitary and water supply works one qualified diploma holder with experience of not less than one year should be in sanitary and water supply works when the tendered cost of work is more than Rs. 50,000.
- (c) For electrical works
 - i) One qualified Graduate Engineer possessing Degree in Electrical Engineering from recognised university with an experience of not less than 3 years or a diploma holder in Electrical Engineering with an experience of not less than 7 years when the tendered cost of the work is not less than Rs. 1.5 lakhs. One Graduate Electrical Engineer with two years experience or a Diploma holder in Electrical Engineering with experience of not less than 3 years, when the tendered cost of the work is more than Rs. 75,000 but less than Rs. 1.5 lakhs.
 - ii) One Diploma holder in Electrical Engineering with experience of not less than 3 years when tendered cost or work is more than Rs. 37, 000 but less, than Rs.75,000.00
 - iii) One licensed Supervisor with experience of not less than 3 years when the tendered cost of the work is more than Rs. 7,500 and less than Rs. 37,000
- (d) In case the contractor fails to employ the technical staff as above said, he shall be liable to pay reasonable amount not exceeding the amount shown below for each month of default. These recoveries are subject to modifications from time to time by CSIR based on CPWD.

In case when a graduate Engineer is to be employed	Rs. 3,000/-
In case when a qualified Diploma holder is required to be employed	Rs.1,500/-
In case when technical supervisor is required to be employed	Rs. 750/-

विषयसूची

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या
I निविदा आमंत्रण सूचना	1
II करार की शर्तें	4
III संविदा की सामान्य शर्तें	5
1. निर्वचन	5
2. आरेखन और विनिर्देशन	5
3. संविदाकार द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराना	5
3A. निविदा की पर्याप्तता:	6
4. प्राधिकारी, नोटिस एवं पैमेण्ट्स:	7
5. दरों में सभी करों का शामिल होना	7
6. सामग्री	7
7. सामग्री का परीक्षण	9
8. संविदाकार के इंजीनियर/फोरमैन एवं कारीगर	9
9. पहुंच	9
10. परिवर्तन एवं परिवर्तन के लिए कीमत	9
11. दोषपूर्ण सामग्री, और निर्माण कार्य	10
12. निरीक्षण के लिए निर्माण कार्य का खुला होना	11
13. समनुदेशन या उप पट्टे पर देना	11
14. व्यक्ति, सम्पत्ति एवं संविधि की क्षति की पूर्ति	12
15. अन्य संविदाओं में दावों के संबंध में धारणाधिकार	12
16. दावा की गई राशि का रोक लिया जाना और उसके संबंध में धारणाधिकार	13
17. संविदाकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में	14
18. उप-संविदाकार	14
19. श्रम-विधि एवं शिक्षा अधिनियम का अनुपालन	14
20. विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति	14
21. संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियताओं के फलस्वरूप निर्माण कार्यों को हुई क्षति	15
22. समय बढ़ाना	15
23. संविदाकार द्वारा कार्य रोकना	15
24. प्रतिभूत अग्रिम	17
25. प्रमाण-पत्र और भुगतान	17
26. प्रतिभूति जमा	18
27. समापन प्रमाण-पत्र	19
28. मूल्य-वृद्धि	19
29. माध्यमस्थम्	21
30. विखण्डित सामग्री	22
31. कार्य निष्पादन गारंटी	22
IV. विशेष शर्तें	22
V. अतिरिक्त शर्तें	23
VI. प्रतिभूति आधार के लिए करार	24
VII. कार्य निष्पादन गारंटी	27
VIII. ठेकेदार की स्थल अधीक्षणता (संलग्न-1)	28
IX. सीमेन्ट और सरिये के लिए शर्तें	29
X. सरिये के लिए शर्तें	30

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद निविदा आमंत्रण सूचना

1. एतद् द्वारा.....निर्माण कार्य के लिए सी पी डब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस डाक तार विभाग और/या सी एस आई आर और अर्ध सरकारी संगठन में इस प्रकार का.....रू. (.....रूपये मात्र) एवं उससे अधिक राशि का निर्माण कार्य कर चुके समुचित वर्ग के संविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदाकारों के लिए आवश्यक है कि निविदा प्रलेख जारी किए जाने के लिए आवेदन करते समय नवीनतम आय कर समाशोधन प्रमाण पत्र के साथ उपयुक्त शर्त पूरी करने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
 2. अनुमानित लागत.....रू.(.....)मात्र है।
 3. कार्य करने का समय.....होगा और कार्य प्रारम्भ करने की तारीख कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी किए जाने के दसवें दिन से मानी जाएगी।
 4. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार की जा सकती है, उसके द्वारा अनुपालन किए जाने वाले समान संविदा दस्तावेज.....के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
 5. निविदा निर्धारित प्रपत्र में (अहस्तांतरणीय) भरी जानी चाहिए। यह फार्म.....के कार्यालय से कार्य समय के दौरान रू.....नकद देकर/ डिमांड ड्राफ्ट (जो लौटाए नहीं जाएंगे) प्राप्त किया जा सकता है। निविदा खोले जाने की तारीख से दो दिन पूर्व निविदा प्रपत्रों की बिक्री बन्द कर दी जाएगी।
 6. निविदा सीलबंद दो लिफाफों में प्रस्तुत की जाए और दोनों लिफाफों के ऊपर निर्माण कार्य का नाम, खोले जाने की तारीख और समय लिखा होना चाहिए। इन्हें दिनांक.....को सांय 3.00 बजे तक जमा करवाया जा सकता है और उसी दिन..... के कार्यालय में सांय 3.30 बजे खोला जाएगा।
निविदा निर्धारित अंतिम तारीख और समय से पहले निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। यदि निविदा डाक से भेजी जानी है तो ये.....के नाम में रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजी जाए। निविदाकार निविदा समय से पोस्ट करे ताकि निविदा निर्धारित तारीख और समय से पहले पहुंच जाए।
 7. बयाना राशि के तौर पर किसी अनुसूचित बैंक का.....रू.(.....रूपये मात्र)का.....के नाम में डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर निविदा के साथ भेजा जाए। रू. 10,000 तक की बयाना राशि कैश जमा कराई जा सकती है जब बयाना राशि 10,000 रू. से अधिक हो तथा 25 लाख रूपये तक हो बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। यदि बयाना राशि रू. 25 लाख से अधिक हो तो 25 लाख से अधिक वाली राशि किसी भी अनुसूचित बैंक की जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में जमा कराई जा सकती है। बयाना राशि के बिना प्राप्त हुई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
 8. नियोक्ता न्यूनतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे पूरी निविदा अथवा उसका कोई अंश स्वीकार करने का अधिकार है तथा निविदाकार उल्लेखित दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
 9. निविदा के संबंध में पक्ष-प्रचार (कन्वेंसिंग) नहीं किया जाएगा और पत्र प्रचार करने वाले संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएँ रद्द की जा सकती हैं।
 10. उस निविदाकार को उस यूनिट के कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका कोई संबंध सी एस आई आर की किसी यूनिट में प्रशासन नियंत्रक एवं जूनियर इंजीनियर के बीच के ग्रेड में (दोनों ग्रेड सहित) तैनात है। वह उन व्यक्तियों के नाम भी बताएगा। जो किसी भी रूप में उसके साथ कार्य कर रहे हैं या उसके द्वारा बाद में नियुक्त किए गए हैं और जो उपर्युक्त के अनुसार उसके संबंधी हैं।
- नोट :** उस व्यक्ति को एक दूसरे का संबंधी माना जाएगा यदि (क) वे हिन्दू अविभाज्य परिवार के सदस्य हों, अथवा (ख) वे पति-पत्नी हों, अथवा (ग) यदि पिता, माता (सौतेली माता सहित), पुत्र सौतेले पुत्र सहित), पुत्रवधू,

पुत्री (सौतेली, पुत्री सहित), माता के पिता, पुत्र का पुत्र पुत्र की पुत्रवधु, पुत्र की पुत्री, बेटे की पुत्री का पति, पुत्री का पति, पुत्री के पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्रवधु, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पति, भाई (सौतेले भाई सहित) भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सहित) बहन का पति हो।

11. प्रस्तुत की गई निविदाएँ खोले जाने की तारीख से 90 दिन तक स्वीकार किए जाने और कार्य सौंपे जाने के लिए मान्य रहेंगी। खोले जाने की तारीख से 90 दिन के बाद इनकी मान्यता आपसी सहमति के आधार पर होगी।
12. निविदाकार दरों का उल्लेख अंकों शब्दों दोनों में करेगा। वह प्रत्येक कार्य की मद के लिए राशि का ब्यौरा तैयार करेगा और उसका उल्लेख अंकों और शब्दों दोनों में करेगा। जांच करने पर यदि निविदाकार द्वारा उल्लेख की गई दरों के शब्दों और अंकों में अन्तर पाया जाता है या उसके द्वारा तैयार किए गए ब्यौरे की राशि में अन्तर होता है तो निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
 - 1) दरों के अंकों और शब्दों में अन्तर होने पर वह दर सही मानी जाएगी जो निविदाकार द्वारा तैयार किए गए ब्यौरे की राशि के अनुरूप होगी।
 - 2) यदि निविदाकार ने किसी मद की राशि का ब्यौरा तैयार न किया हो या अंकों और शब्दों में लिखी गई दरें उनसे भिन्न हों तो निविदाकार द्वारा शब्दों में लिखी गई दरें सही मानी जाएगी।
 - 3) यदि निविदाकार द्वारा उल्लेखित दरें शब्दों और अंकों में एक समान हों लेकिन राशि का ब्यौरा सही न हो तो निविदाकार द्वारा उल्लेखित दरों को सही माना जाएगा न कि राशि को।
13. निविदाकार नक्शे देखें और किसी प्रकार का संदेह होने पर अपेक्षित विवरण, जो भी रूप में निविदा को प्रभावित कर सकते हों, इंजीनियर से प्राप्त करें क्योंकि उसके लिए किसी प्रकार की तथा कथित अनभिज्ञता के लिए किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदाकार संविदा का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यस्थल पर पहुंचने, वहां की प्रकृति एवं भूमि का फैलाव, कार्यस्थल पर कार्य करने की स्थितियों और इलाका तथा सामान रखने की जगह, टी एवं पी की स्थापना इत्यादि, मजदूरों के आवास और निर्माण कार्य प्रभावित करने वाली स्थितियों का मुआयना कर ले। इसके लिए नियोक्ता किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेगा।
15. यदि संविदाकार काम सौंपे जाने संबंधी पत्र के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो बयाना जब्त कर लिया जाएगा।
16. संविदाकार मुद्रित निविदा फार्म में दरें और राशि लिखने के अलावा किसी प्रकार की अन्य शर्त का उल्लेख नहीं करेगा और न ही कोई परिवर्तन या कुछ घट-बढ़ या कोई संशोधन ही करेगा। जो निविदाकार छूट का प्रस्ताव देना चाहते हैं वे अलग से सहपत्र में इसका उल्लेख करके निविदा के साथ प्रस्तुत करें।
 - (क) कमियों को पूरा करने की अवधि: नियोक्ता द्वारा प्रमाणित की गई कार्य पूरा होने की तारीख से 12 माह।
 - (ख) माध्यमिक प्रमाण पत्र के लिए निर्माण कार्य का न्यूनतम मूल्य.....रू.(.....रूपये मात्र) इससे कम मूल्य के माध्यमिक प्रमाण पत्र को इंजीनियर के विवेकानुसार ही भुगतान के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
 - (ग) **प्रतिभूति जमा:** हर चालू बिल के ग्राँस राशि में से तब तक 10 प्रतिशत के हिसाब प्रतिभूति जमा राशि काटी जाएगी जब तक कि वह काटी गई राशि व बयाना राशि को (दोनों मिलाकर) प्रतिभूति राशि निविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक न हो जाए। इसके अलावा ठेकेदार निविदा मूल्य के 5 प्रतिशत के हिसाब से परफॉर्मंस सिक्क्योरिटी के रूप में जमा करवानी होगी। यह राशि जो एवार्ड पत्र ठेकेदार को दिया जाएगा उसमें जो समय दिया गया होगा उसके अनुरूप जमा होगी।

(घ) क्षतिपूर्ति:- प्रति सप्ताह का कार्य प्रारम्भ न हुआ हो या समाप्त न हुआ हो या कार्य की नियत मात्रा नियत तिथि के बाद अधूरी हो जो समझौते में दर्शायी गयी पूरे कार्य की राशि पर नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार (जिसका लिखित निर्णय अंतिम निर्णय होगा) सविदाकार क्षतिपूर्ति के रूप में एक प्रतिशत के बराबर राशि अथवा उससे कम राशि का भुगतान करेगा। क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान की जाने वाली राशि समझौते में कार्य के लिए दर्शायी गई अनुमानित राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

18. निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्य को सविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 6 के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले सामान की समुचित मात्रा एवं उसके लिए ली जाने वाली दरों की अनुसूची:

सामान का विवरण	स्थूल मात्रा यूनिट	दरें जिन पर सामान सविदाकार को दिया जाएगा		सामान देने का स्थान
		रूपये अंकों में	रूपये शब्दों में	

टिप्पणी:- कृपया पूरी लाईन लिखें।

19. सभी विशेष कार्य जैसे लिफ्ट्स, वातानुकूलन, पब्लिक एड्रेस, अग्निसुरक्षा/निगरानी और भवन प्रबन्धन पद्धति, के लिए तकनीकी (जिसमें सामान्य शर्तें और वाणिज्यिक निबंधन भी शामिल हैं) और वित्तीय प्रस्ताव दो मुहरबंद लिफाफों में अलग से दिए जायेंगे।
20. 5 करोड़ से 100 करोड़ रूपये तक के कामों के क्रय की वरीयता, सैन्ट्रक पब्लिक, सैक्टर एन्टरप्राइज को दी जाएगी जिसका प्रावधान के.लो.नि.वि. के मैनुअल 2003 के पैरा 14.6.1 में भी है तथा भारत सरकार के विभाग पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइज के पत्र संख्या डी.पी.ई./13(12)-2003-फिनांस-वो,-II दिनांक 18.7.05 में भी दर्शाया गया है।

करार की शर्तें

यह करार की शर्तें एक पक्षकार के रूप में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एवं पंजीकृत सोसायटी है, (जिसे इसमें आगे “नियोक्ता” कहा गया है और इसके अन्तर्गत इसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी और सोसाइटी के प्राधिकृत अधिकारी भी हैं) और नाम..... (जिसे उसमें आगे “संविदाकार” कहा गया है और अभिप्रेत है तथा उसके अन्तर्गत उसके/उनके वारिस निष्पादक प्रशासक तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी हैं)के बीच आज तारीख.....निर्धारित की गयी।

नियोक्ता.....कार्य करने और उनके लिए ड्राइंग, मात्रा अनुसूची तथा किए जाने वाले निर्माण कार्य संबंधी विनिर्देशनों को तैयार करवाना चाहता है और उनके विनिर्देशनों एवं मात्रा अनुसूचि तथा अन्य दस्तावेजों पर पक्षकारों द्वारा और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि:

1. संविदाकारों को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में संविदाकारों को यहां इसमें आगे उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं अनुसार संलग्न मात्रा अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराए गए सामान से विनिर्देशनों डिजाइन, ड्राइंग एवं लिखित अनुदेशों के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा। निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि.....होगी और यह अवधि कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी किए जाने के दसवें दिन से आरम्भ मानी जाएगी।
2. नियोक्ता उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट तरीके से संविदाकारों को समय-समय पर देय होने वाली राशि का भुगतान करेगा।
3. इस करार में करार संबंधी शर्तों के अलावा निम्नलिखित प्रलेख भी हैं:
 - (1) संविदा की सामान्य शर्तें पृ.से
 - (2) विशेष शर्तें पृ. सं.
 - (3) अतिरिक्त शर्तें पृ. सं.
 - (4) प्रतिभूत उधार के लिए करार पृ. सं.से
 - (5) फर्म के दिनांक.....के पत्र के आवरण पत्र के साथ मूल निविदा प्रलेख
 - (6)
 - (7)
 - (8) इसके साक्ष्य स्वरूप संबंधित पक्षों ने ऊपर उल्लेखित दिन और वर्ष को निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर किए:
नियोक्ता
(1)
(2) की उपस्थिति में.....के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए।
संविदाकार.....
उक्त संविदाकार ने (1) (2) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

संविदा की सामान्य शर्तें

1. निर्वचन:

- (क) इन शर्तों में विनिर्देशनों मात्रा अनुसूची, निविदा, विशेष शर्तों एवं करार का अर्थ करते समय निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो यहां पर नीचे दिया गया है जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (ख) इस संविदा में करार की शर्तें, संविदा की सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें अतिरिक्त शर्तें, माल अनुसूची विनिर्देशन, निविदा स्वीकृति पत्र और इसमें संलग्न शीट में उल्लेखित अन्य प्रलेख और वे प्रलेख भी शामिल किए जायेंगे जिनका यहां केवल संदर्भ ही दिया गया है।

कार्य या निर्माण कार्य: का अर्थ मात्रा अनुसूची विनिर्देशनों में दिए गए उन सभी कार्य/निर्माण कार्यो तथा इस तरह के अन्य कार्य या निर्माण कार्यो से होगा जो इस संविदा के तहत संविदाकार को सौंपे जा सकते हैं।

नियोक्ता : नियोक्ता से अभिप्राय होगा महानिदेशक सी.एस.आई.आर. या इस कार्य के लिए महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

इंजीनियर : का अर्थ होगा नियोक्ता द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति जो कार्य की देखभाल करेगा और संविदा में दी गई अन्य ड्यूटी निष्पादित करेगा।

संविदाकार : से तात्पर्य उस व्यक्ति फर्म या कम्पनी से है भले ही वह नियमित हो या न हो जिसने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ली है और इसमें विधि प्रतिनिधि अथवा इस प्रकार का कोई व्यक्ति अथवा इस प्रकार की फर्म या कम्पनी चलाने वाला अथवा इस प्रकार की फर्म या कम्पनी का उत्तराधिकारी एवं इस प्रकार के व्यक्ति या फर्म कम्पनी की अनुज्ञात समनुदेशित शामिल होंगे।

कार्यस्थल: का तात्पर्य संविदा के कार्य स्थान से होगा तथा इसमें इस स्थान पर बनी हुई कोई ईमारत तथा ढांचा सम्मिलित होगा तथा इसके अलावा इसमें वह समीपवर्ती भूमि भी शामिल होगी जो कि नियोक्ता या इंजीनियर द्वारा निविदाकार को प्रयोग के लिए आंबटित की गई है।

क्षतिपूर्ति : किसी भी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि उचित क्षतिपूर्ति मानी जाएगी, जिसमें उठाए गए वास्तविक घाटे या नुकसान तथा कोई हानि हुई है अथवा नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहां “व्यक्ति” शब्द में फर्म और कारपोरेशन शामिल है, निर्माण कार्यो में एक वचन का अर्थ बहुवचन से भी हो सकता है और इसके विपरीत बहुवचन का एक वचन से भी हो सकता है, यहां संदर्भ में ऐसा अपेक्षित हो। सुविधा के लिए खण्डों के शीर्षक दिए गए हैं लेकिन इससे खण्ड का अर्थ व कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होगा।

2. आरेखण तथा विनिर्देशन :

संविदाकार पूरे कार्य को और उसके हर भाग को अधिकतम सारवान और कार्यकुशल तरीके से तथा सामग्री और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशनों के अनुसार निष्पादित करेगा। ठेकेदार कार्य के संबंध में इंजीनियर द्वारा दिए गए डिजाईनों आरेखनों एवं अनुदेशों पर पूर्णतः और निष्ठापूर्वक कार्य करेगा। संविदाकार को इन विनिर्देशों और डिजाईनों आरेखनों और अनुदेशों की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी जो मुद्रित प्रकाशनों में शामिल नहीं है।

3. संविदाकार द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराना :

- (क) संविदाकार कार्य को उचित निष्पादन के लिए अपने खर्च पर सब सामग्री (उस सामान को छोड़कर जो संविदा के अनुसार नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना हो) संयंत्र, औजारों, उपकरण, सीढ़ियों, पैड़, अस्थायी सामान इत्यादि की व्यवस्था करेगा। चाहे वह मूल, परिवर्तित या प्रतिस्थापित हो और चाहे संविदा के भागरूप या विनिर्देशो अथवा अन्य दस्तावेजों से सम्मिलित जो किसी ऐसे विषय के बारे में इंजीनियर

की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार हैं या जिनकी वह कार्य स्थल और वहां से उनके लाने ले जाने सहित अपेक्षा करने को हकदार है। संविदाकार साधनों और सामग्री सहित अपेक्षित व्यक्ति बिना किसी प्रभार के करेगा तो निर्माण कार्य आरम्भ करने और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना तौल और माप अथवा जांच करने में सहायता देने के लिए आवश्यक हों। उसके ऐसा न कर सकने पर इंजीनियर संविदाकार के खर्च पर उसकी व्यवस्था कर सकेगा और जो व्यय होगा उसकी कटौती संविदा के अधीन संविदाकार को देय किसी राशि में से और/या उसकी जमा प्रतिभूति में से की जा सकेगी।

- (ख) संविदाकार निर्माण करने के लिए आवश्यक पानी की उचित व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करेगा। लेकिन फिर भी नियोक्ता पाइप वाले पानी की पूर्ति करता है तो संविदाकार इलैक्ट्रिकल, एयर कन्डीशनिंग और फर्नीचर के कार्य को छोड़कर किए गए शेष कार्य की कुल कीमत के एक प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा। संविदाकार पानी के कलेक्शन के लिए और नियोक्ता के आपूर्ति स्रोत से पाइप लाइन डालने की व्यवस्था स्वयं करेगा। यह स्पष्ट रूप समझ लिया जाना चाहिए कि नियोक्ता बिना किसी रूकावट के पानी की पूर्ति की गारन्टी नहीं लेता और पानी की नालियों में किसी तरह की अस्थायी खराबी होने पर संविदाकार अपने खर्च पर पानी की व्यवस्था करेगा ताकि पानी के अभाव में कार्य की प्रगति में किसी प्रकार की रूकावट न आए। इस तरह की किसी खराबी के कारण हुए खर्च को वापस किए जाने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि ठेकेदार को नियोक्ता के कुएं, हैण्ड पम्प या प्राकृतिक नदी अथवा तालाब से पानी लेने की व्यवस्था करने की अनुमति मिल जाती है तो उसे इन स्रोतों से पानी लेने का कोई भुगतान नहीं करना होगा लेकिन यदि इन स्रोतों को कोई क्षति होती है तो संविदाकार उसे ठीक कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य में प्रयोग किए गए पानी की गुणवत्ता बीआईएस कोड के अनुरूप है और किसी प्रकार के शोधन की व्यवस्था वह अपने खर्च पर करेगा।
- (ग) संविदाकार को निर्माण कार्य के लिए पानी लेने के संबंध में नियोक्ता की जमीन पर अस्थायी कुएं बनाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उसके पास नियोक्ता की लिखित अनुमति होगी। इसके लिए संविदाकार से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा लेकिन ठेकेदार किसी प्रकार की दुर्घटना होने से रोकने या भवन, सड़कों और सर्विस लाइन में किसी प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध करेगा। निर्माण के दौरान इस कारण हुई किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए और कुओं के रखरखाव के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा और निर्माण कार्य पूरा होने पर कुओं को गिरा कर जमीन को पूर्ववत करेगा।
- (घ) नियोक्ता संविदाकार द्वारा ली गयी किराये की जमीन या अन्य स्रोत से लिए गये पानी के खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ङ) उपलब्ध होने पर नियोक्ता पावर की आपूर्ति केवल एक पाइंट पर करेगा जहां से संविदाकार अपने खर्च पर इलैक्ट्रिक मीटर, स्विच फ्यूज इत्यादि लगाकर आवश्यक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करेगा। ये नियोक्ता की अभिरक्षा में होंगे। यदि इससे किसी और के निर्माण कार्य में बाधा आती है तो संविदाकार अतिरिक्त लागत लिए बिना इस अस्थायी लाइनों को कहीं और ले जाएगा या हटा देगा। निर्माण कार्य पूरा होने पर ये अस्थायी लाइनें हटा दी जायेंगी। संविदाकार द्वारा उपयोग की गई बिजली की लागत नियोक्ता द्वारा निश्चित की गई दर के अनुसार देय होगी जिसकी कटौती चालू खाते के बिल में से की जाएगी। तथापि, नियोक्ता बिजली की आपूर्ति की गारंटी नहीं देगा और बिजली की आपूर्ति न हो पाने अथवा कम होने के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।

A. निविदा की पर्याप्तता :

निविदा करने से पहले संविदाकार को निविदा की यथातथ्यता और पर्याप्तता तथा मदों की सूची में दर्शित दर एवं कीमत के बारे में अपने आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेना होगा। बशर्ते अन्य बातों को छोड़कर, संविदा के अन्तर्गत इन दरों और कीमतों पर, कार्य का उचित रूप से अनुरक्षण एवं समापन आदि पूर्ण रूप से करना उसका दायित्व होगा।

4. **प्राधिकारी, नोटिस एवं पेमेंट्स :**

- (क) संविदाकार किसी भी निगम और बिजली आपूर्ति कम्पनी और उन प्राधिकारियों के विनियमों और उपनियमों के अनुसार निर्माण कार्य करेगा जिसके सिस्टम के साथ संरचना के जोड़े जाने का प्रस्ताव है तथा नक्शों विनिर्देशनों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले किए जाने वाले परिवर्तनों और कारणों का उल्लेख करते हुए इंजीनियर को लिखित रूप से सूचित करेगा और उसके अनुदेशों का पालन करेगा। यदि इस खण्ड के अन्तर्गत कार्य के अनुपालन में कोई ऐसा निर्माण कार्य सम्मिलित है जो इस संविदा में शामिल नहीं है तो वह निर्माण कार्य की उन मदों को और उनके लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि को विनिर्दिष्ट करेगा।
- (ख) संविदाकार किसी भी प्राधिकारी को दी जाने वाली उक्त विनियमों, उपनियमों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं देगा और वह उक्तप्राधिकारी या किसी सरकारी कार्यालय को पूरी फीस देगा जो निर्माण कार्य के संबंध में प्रभार्य हो सकती है और प्रतिपूर्ति के लिए बिल के साथ रसीद नत्थी करके इंजीनियर को देगा।

5. **दरों में सभी करों का शामिल होना :**

- (क) संविदाकार द्वारा कोट की गई दरों में बिक्रीकर, ड्यूटी, चुंगी, मार्ग कर, रॉयल्टी और इस ठेके से संबंधित अन्य सभी कर शामिल होंगे और नियोक्ता इस संबंध में किया गया किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेगा। निविदत्त दरों में संबद्ध कानून के अन्तर्गत देय सभी टैक्स और लेवी शामिल हैं। तथापि, संविधान अधिनियम (46वां संविधान) 1982 के अनुसार यदि कानूनी तौर पर कोई अन्य कर या लेवी टेंडर प्राप्त करने की तारीख के बाद लगाई जाती है और संविदाकार अनिवार्य और उचितरूप से कर/लेवी की अदायगी करता है तो संविदाकार को अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर राशि की नियमानुसार प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी बशर्ते कि नियोक्ता की राय में इस प्रकार के भुगतान से यदि कोई हो, (जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा) संविदाकार के नियंत्रण में कार्य के निष्पादन में कोई बिलम्ब न हो।
- (ख) संविदाकार इस शर्त के प्रयोजन से यथावश्यक लेखाबहियां एवं अन्य दस्तावेज रखेगा और नियोक्ता के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को उनका निरीक्षण करने की तथा नियोक्ता को इस संबंध में यथापेक्षित अन्य सूचनाएं एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।
- (ग) संविधान अधिनियम (46 संशोधन) 1982 के अनुसार अन्य कोई कर अथवा लेवी लगाए जाने के तीस दिन के अन्दर संविदाकार नियोक्ता को इस संबंध में एक लिखित नोटिस देगा कि वह इस शर्त तथा इससे संबंधित सभी आवश्यक सूचना के अनुसार दिया गया।

6. **सामग्री :**

- (क) यदि विनिर्देशों या मदों की अनुसूची में यह उपबन्ध हो कि ऐसे सामान का प्रयोग किया जाए जो नियोक्ता के भंडार से दिया जाएगा या यदि अपेक्षित है कि संविदाकार नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सामान का प्रयोग करेगा, जिसका उल्लेख संलग्न सामान की सूची में किया गया है तो संविदाकार केवल संविदा के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर उसके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित सामान और सामग्री प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा और सामग्री की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सप्लाई किए गए सामान का मूल्य तथा कार्य में शामिल मात्रा का मूल्य संविदाकार को संविदा के अधीन या अन्यथा उस समय देय या उसके पश्चात् देय होने वाली किन्हीं राशियों में से या प्रतिभूति जमा के प्रति या उससे निकाल लिया जाएगा या काट लिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा संविदाकार को इस प्रकार सप्लाई किया गया सारा सामान पूर्णतः नियोक्ता की सम्पत्ति बना रहेगा और संविदाकार इस उपलब्ध कराए गए/ प्राप्त किए गए सामान का ट्रस्टी होगा और इस सामान को किसी भी कारण से कार्य स्थल से हटाया नहीं जाएगा उसका निपटान नहीं किया जाएगा तथा इंजीनियर अथवा नियोक्ता द्वारा इसका किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा। संविदाकार ढुलाई, भंडारण तथा सभी सामान की सुरक्षा अभिरक्षा एवं सीलन, वर्षा, धूप, आग और चोरी के कारण होने वाली क्षति से संबंधित सभी आकस्मिक खर्च वहन करेगा तथा सामान के भंडारण एवं रख-रखाव के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इस तरह का कोई भी सामान जो प्रयोग में न लाया गया है जो निर्माण कार्य पूरा होने के समय या ठेके की समाप्ति पर नियोक्ता या इंजीनियर की

दृष्टि से अच्छी स्थिति में हो इंजीनियर द्वारा बताए गए स्थान पर संविदाकार के खर्चे पर और उपरोक्त सूची में निर्धारित दरों पर नियोक्ता को वापस कर दिया जाएगा लेकिन यदि नियोक्ता सामान वापस न लेने का निर्णय लेता है तो संविदाकार दिए गए ऐसे किसी सामान जिसका उसने प्रयोग नहीं किया है अथवा सामान की किसी भी प्रकार की बर्बादी या हर्जाने का दावा नहीं करेगा।

- (ख) यदि किसी कारणवश अनुसूची में दर्शाई गई सामग्री की आपूर्ति करने में बिलम्ब हो या आपूर्ति नहीं की जाती तो संविदाकार नियोक्ता को इसकी विधिवत सूचना देकर और अनुमोदन लेकर इसे प्राप्त करेगा और निर्माण कार्य को समय पर पूरा करेगा। मूल्य का अन्तर (उपापन कीमत और अनुसूची में दर्शाई गई कीमत में) का भुगतान संविदाकार को किया जाएगा। तथापि, यदि नियोक्ता इसका अनुमोदन नहीं देता है, केवल उपयुक्त समय बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा किसी क्षतिपूर्ति/हर्जाने के दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ग) कार्य पूरा होने के बाद अथवा संविदा-समाप्त/समापन होने पर निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट की अनुमानित मात्रा की गणना, सीपीडब्लूडी द्वारा इस आशय से मुद्रित वर्तमान अनुसूची में दिए गए विभिन्न कार्य मदों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट की दी गई मात्रा के आधार पर की जाएगी। यदि कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसके लिए उपर्युक्त विवरण में सीमेंट खपत का मानक नहीं दिया गया है अथवा इस विवरण से कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता है तो इसकी गणना इंजीनियर द्वारा निर्धारित मानक फार्मूले के आधार पर की जाएगी। सीमेंट की इस अनुमानित मात्रा के अतिरिक्त उन निर्माण कार्यों के संबंध 3 प्रतिशत जमा/घटा तक के अन्तर की अनुमति होगी निविदा में जिन की अनुमानित लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं और उन निर्माण कार्यों के संबंध में 2 प्रतिशत जमा/घटा तक के अन्तर की अनुमति होगी निविदा में जिनकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपये से अधिक दी गई है। संविदाकार की वास्तव में जारी की गई मात्रा और प्राधिकृत अन्तर सहित अनुमानित मात्रा के बीच अन्तर की राशि, संविदा पर लागू सामग्री वापस करने से संबंधित अन्य शर्तों के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गम दर से दुगुनी दर पर वसूल की जाएगी। इसमें पहले बताई मात्रा से कम सीमेंट की मात्रा पाए जाने की स्थिति में (ऊपर बताए अनुसार घटा पक्ष की तरफ अन्तर की स्वीकृति देते हुए) इस प्रकार प्रयुक्त न किए गए सीमेंट की लागत, अनुबंधित निर्गम दरों के आधार पर और कार्यस्थल पर ढुलाई प्रभार सहित संविदाकार से वसूल की जाएगी।
- (घ) उपरोक्त उप-खण्ड के उपबंध, स्टील-प्रति बलन या संरचनात्मक स्टील सैक्शनों (प्रत्येक ब्यास सैक्शन या श्रेणी पर अलग-अलग विचार किया जाएगा) के मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे सिवाय इसके कि स्टील की अनुमानित मात्रा वह मात्रा होगी जो डिजाइन के अनुसार अपेक्षित है या जिसे इंजीनियर ने प्रधिकृत किया है, इसमें इन्हें टुकड़ों में काटने के कारण होने वाला 3 प्रतिशत अपव्यय तथा प्रमार्जन भी शामिल होंगे। इस अनुमानिक मात्रा के अतिरिक्त, इसमें अपव्यय के कारण अन्तर के रूप में 2 प्रतिशत जमा/ घटा मात्रा भी शामिल होगी।
- (ङ) उपरोक्त उप-खंड के उपबंध, केवल (भूमिगत केबिलों के अतिरिक्त) तारों कंडूइट/जी.आई.पाइप, विभिन्न कार्य मदों में प्रयुक्त जी आई/ एम एस शीटों के मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और इनका परिकलन भुगतान के प्रयोजन के लिए और निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की खपत निर्धारित करने के लिए माप-बहियों में दर्ज मापों के आधार पर किया जाएगा। इस मात्रा के अतिरिक्त, केबिल (भूमिगत केबिलों के अतिरिक्त)तारों कंडूइट/जी.आई पाइपों के मामले में कार्य निष्पादन के दौरान सामग्री के अपव्यय के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा रखने और जी.आई/एम.एस. शीटों के मामले में 100 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा रखने की अनुमति होगी।
- (च) उपर्युक्त प्रावधान नियोक्ता द्वारा संविदा के अन्तर्गत निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार कार्य न करने के लिए संविदाकार के विरुद्ध कार्यवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
- (छ) खुले बाजार में अनुमोदित गुणवत्तायुक्त सीमेंट और सरिये के उपलब्ध होने पर यह नियोक्ता के विवेक पर होगा। कि वह इस सामग्री को संविदाकार का उपलब्ध कराए।

7. सामग्री परीक्षण :

सामान्यतः विनिर्देशनों तथा कानूनी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सामग्री के परीक्षण, जांच एवं कारीगरी के लिए सहायता, उपकरण, सामग्री, श्रमिक एवं आवश्यक कोई अन्य प्रबंध अपने खर्चों पर करेगा। नियोक्ता को परीक्षण प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। परीक्षण शुल्क सहित परीक्षण सैम्पल, इसकी पैकिंग, परिवहन व्यय का वहन संविदाकार करेगा। उसके ऐसा न कर पाने पर यह सभी सामग्री संविदाकार के खर्चों पर इंजीनियर उपलब्ध कराएगा और इस व्यय की कटौती संविदा के अन्तर्गत संविदाकार को देय किसी भी राशि में से और/अथवा जमा की गई प्रतिभूति में से अथवा उसके पर्याप्त अंश में से की जाएगी।

8. संविदाकार के इंजीनियर फोरमैन/एवं कारीगर

(क) कार्य के निष्पादन के दौरान संविदाकार सभी आवश्यक व्यक्तिगत निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और उसके बाद भी इंजीनियर उस समय तक जिसे वह आवश्यक समझे, इसकी व्यवस्था करता रहेगा जब तक कि उन कमियों को दूर करने की उसकी जिम्मेदारी की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। संविदाकार सी पी डब्ल्यू डी के मानक के अनुसार इंजीनियर द्वारा अनुमोदित ऐसे सक्षम स्थल इंजीनियर/फॉरमैन की नियुक्त करेगा, जिसकी योग्यता इंजीनियर द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होगी और जो लोगों के कार्य पर लगे होने के समय कार्य की लगातार निगरानी रखेगा। इंजीनियर द्वारा स्थल इंजीनियर या फोरमैन या अन्य किसी प्राधिकृत एजेंट को दिए गए किसी भी प्रकार के निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या सूचनाएं ठेकेदार पर भी लागू होंगी।

(परिशिष्ट-1 देखें)

(ख) संविदाकार इंजीनियर के अनुरोध पर कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देगा, जो इंजीनियर की राय में अयोग्य या अक्षम हो सकता है या जो नियोक्ता की राय में स्वयं अवचार कर सकता है।

पहुंच :

(क) इंजीनियर और नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि सभी उचित अवसरों पर कार्य तथा/अथवा कार्यशालाओं तथा किसी स्थान पर, जहां पर संविदा के लिए सामग्री तैयार की जा रही हो, स्वतंत्र रूप से जा सकेंगे तथा किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकेंगे जहां के सामान प्राप्त किया जा रहा है तथा संविदाकार उनको निरीक्षण के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा। सरकारी प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों या ऊपरलिखित व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को निर्माण कार्य के स्थान पर इंजीनियर की अनुमति के बिना किसी भी समय नहीं जाने दिया जाएगा।

(ख) यदि कोई कार्य कार्य-स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाना है तो ऐसा करने के लिए संविदाकार इंजीनियर से लिखित अनुमति लेगा।

10. परिवर्तन एवं परिवर्तन के लिए कीमत

(क) इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह मूल विनिर्देशनों, आरेखनों, डिज़ाइन एवं लिखित अनुदेशों में नियोक्ता के अनुमोदन से किसी प्रकार का परिवर्तन/ घट-बढ़ और/प्रतिस्थापन कर सकता है और इस प्रकार के परिवर्तन, घट-बढ़, प्रतिस्थापनों से संविदा रद्द नहीं होगा। और कोई भी परिवर्तन, घट-बढ़ अथवा प्रतिस्थापित किया गया कार्य ऊपर विनिर्दिष्ट किए अनुसार कार्य के भाग के रूप में करने के लिए संविदाकार को निदेश दिया जाएगा, संविदाकार सब प्रकार से उन्हीं शर्तों पर कार्य करेगा, जिन पर मुख्य कार्य करने के लिए वह सहमत हुआ है। इस खंड के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की दरें लिखित संबंधित क्रयादेश के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएगी:-

(ख) यदि परिवर्तित अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की दरें संविदा में विनिर्दिष्ट हैं तो संविदाकार वह कार्य उन्हीं दरों पर पूरा करेगा जो कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट है।

- (ग) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की दरें संविदा में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं है तो दरें वैसे ही वर्ग के कार्य की दरों से ली जाएगी जो कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट है।
- (घ) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें उक्त उपखंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से निर्धारित नहीं की जा सकती हैं तो संविदाकार कार्य करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के अन्दर ऐसी दर, जैसी की वह ऐसे वर्ग के कार्य के लिए प्रभारित करना चाहता है, की जानकारी दावाकृत दर के विश्लेषण सहित इंजीनियर को देगा, जोकि कार्य की वास्तविक लागत पर आधारित होगी इसमें 10 प्रतिशत संविदाकार के लाभ ऊपरी खर्चों के रूप में शामिल होगा तथा विभागीय सामग्री के मामले में संविदाकारों को लाभ एवं ऊपरी खर्चों के लिए 2.5 प्रतिशत होगा। जब ऐसी सूचना दी गई हो तो इंजीनियर नियोक्ता से परामर्श करके ऐसी दर के लिए सहमत दे सकता है। किन्तु यदि इंजीनियर संविदाकारों की दर से सहमत नहीं होता है तो इंजीनियर ऐसे वर्ग के कार्य को पूरा करने के अपने आदेश को रद्द कर सकता है और ऐसी रीति के कराने की व्यवस्था कर सकेगा, जो वह बांछनीय समझें।
- (ङ) किसी परिस्थिति में संविदाकार इस खंड के अंतर्गत आने वाली मदों की दरें परिनिर्धारित न हो पाने के आधार पर कार्य को स्थागित नहीं करेगा।
- (च) “परिवर्तन सीमाएं” भवन निर्माण कार्य 30 प्रतिशत मरम्मत/आकस्मिक कार्य 50 प्रतिशत नींव कार्य 100 प्रतिशत सेवाएं निर्माण कार्य 30 प्रतिशत।

11. दोषपूर्ण सामग्री और निर्माण कार्य:

- (क) इंजीनियर की राय में यदि समस्त सामान तथा कार्य विनिर्देशनों अनुसार नहीं है तो इंजीनियर उसे कार्यस्थल से हटाने के आदेश दे सकता है और चूक हो जाने की स्थिति में इंजीनियर उसे कार्यस्थल से हटाने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। जिसके लिए वह वहां प्रतिस्थापित किए जाने वाले किसी सामान के खोने अथवा उसकी क्षति होने के लिए जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं होगा और कमी हो जाने की स्थिति में इंजीनियर उस सामान की आपूर्ति किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है तथा इस प्रकार कार्यस्थल से हटाए जाने और/या प्रतिस्थापित किए जाने के कार्य पर हुआ समस्त, खर्च संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- (ख) यदि इंजीनियर को अथवा प्रमुख तकनीकी निरीक्षक को ऐसा लगता है कि अस्थायी, अधूरा, या काम चलाऊ कार्य किया गया है या घटिया सामान का प्रयोग किया गया है या काम करने के लिए उसके बदले उपलब्ध कराया गया कोई सामान या वस्तु घटिया है या संविदा के अनुबंध के अनुसार नहीं है, कोई भी कमी, संकुचन या अन्य दोष जो इंजीनियर की राय में कार्य पूरा होने के बारह (12) माह के भीतर दिखाई देते हों, तो संविदाकार लिखित रूप से मांग किए जानें पर, जो कार्य पूरा होने के बारह (12) मास के भीतर इंजीनियर द्वारा उस कार्य, सामग्री या वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए, जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया है, प्रमाणित कर दिया गया है उसके लिए संदाय कर दिया गया है, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को तत्काल पूर्णतः या अंशतः जैसी भी स्थिति हो, सुधारेगा या हटाएगा और उसका पुनः निर्माण करेगा अथवा यथास्थिति ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्च पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और ऐसी किसी असफलता की दशा में इंजीनियर उन सामग्री या वस्तुओं को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, हर प्रकार से संविदाकार की जोखिम और व्यय पर यथास्थिति सुधार सकेगा या हटा सकेगा, पुनः निष्पादन कर सकेगा और उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी सामग्री या वस्तु लगा सकेगा।
- (ग) संविदा के अनुसार न किए गए कार्य को सुधारने के बदले नियोक्ता इस तरह के कार्य को जैसे को तैसा रहने की अनुमति दे सकता है और ऐसी स्थिति में मूल्य में अन्तर और ऐसी अन्य कटौती के लिए, जो उसकी राय में उचित हो, भत्ता देगा।
- (घ) परन्तु यदि इस खंड के अंतर्गत कही गई किसी भी बात से संविदाकार का हर प्रकार से संविदा शर्तों के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी से अथवा सभी कमियों को सुधारने की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं होगा।

11. (ख) लेखा परीक्षा/तकनीकी निरीक्षण के आधार पर इंजीनियर या नियोक्ता को यह पता चल जाएगा कि कोई कार्य किया गया है।

12. निरीक्षण के लिए निर्माण कार्यों का खुला होना :

(क) ऐसे सभी कार्य जो संविदा के अन्तर्गत या उसके अनुसरण में किए गए हैं या किए जा रहे हैं, हर समय इंजीनियर द्वारा निरीक्षण व पर्यवेक्षण किए जाने के लिए खुले रहेंगे तथा संविदाकार सामान्य कार्य समयों पर जिसके बारे में संविदाकार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि इंजीनियर कार्य को देखने के लिए आने का इरादा रखता है या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा या वह इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप से सम्यक रूप से प्रत्याचित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा।

(ख) संविदाकार किसी कार्य को ढकने या अन्यथा उसको ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाने से पूर्व इंजीनियर को कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देगा ताकि उसके इस प्रकार ढके जाने या ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाए जाने से पूर्व उसकी माप की जा सके और उसकी सही लम्बाई, चौड़ाई आदि मापी जा सके और संविदाकार किसी भी कार्य को इंजीनियर की लिखित सम्मति के बिना न तो ढकेगा और न ऐसी स्थिति में रखेगा कि उसकी माप न हो सके और इंजीनियर सात दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य ऐसी सूचना दिए बिना अथवा इंजीनियर की सम्मति प्राप्त किए बिना ढका जाएगा या ऐसी स्थिति में ले आया जाएगा कि उसका मान न हो सके तो वह कार्य संविदाकार के खर्च पर खोल दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए, जिसकी मदद से उसे निष्पादित किया गया तथा, कोई संदाय या मौका नहीं दिया जायेगा।

13. समनुदेश या उप पट्टे पर देना :

(क) यह संविदा नियोक्ता के लिखित अनुमोदन के बिना न तो समनुदेशित की जाएगी और न ही उप-पट्टे पर दी जाएगी। यदि संविदाकार अपनी संविदा को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा या ऐसा करने की कोशिश करेगा या दिवालिया हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियां शुरू करेगा या अपने लेनदारों से उसके द्वारा दी गई बड़ी रकम के बदले धन देने का समझौता करेगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा या फिर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, उपहार, ऋण, परिलब्धि, इनाम या धन संबंधी लाभ या कोई अन्य चीज का प्रस्ताव संविदाकार द्वारा या नियोक्ता के किन्हीं अधिकारियों के एजेंटों या उसके किन्हीं सेवकों या उन व्यक्तियों जो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा में रूचि लेने वाले हैं, को दिया जाता है तो नियुक्ता को खंड 23 के अन्तर्गत नियोक्ता के पक्ष में ऐसी कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा जिसे वह नियोक्ता के हित में सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त समझे और यदि इनमें से कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसके वे परिणाम होंगे जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट हैं।

(ख) जहां संविदाकार भागीदारी फर्म के रूप में है, वहां फर्म के गठन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले नियोक्ता की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। जहां संविदाकार एक व्यक्ति है या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब का कारोबारी प्रतिष्ठान है, वहां संविदाकार को किसी प्रकार का भागीदारी करार करने से पहले उपर्युक्त अनुमति लेनी होगी और भागीदारी फर्म को संविदाकार द्वारा लिए गए कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा। यदि पूर्वोक्त के अनुसार अनुमोदन नहीं लिया जाता है वह माना जाएगा कि संविदा का अनुमोदन खंड 13 (क) का उल्लेख करते हुए किया गया और उस पर वही कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसके वही परिणाम होंगे, जो उक्त खंड 13 (क) में उपबंधित हैं।

14. व्यक्ति, सम्पत्ति एवं संविधि की क्षति की पूर्ति :

हर प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए संविदाकार दिन-रात आवश्यक सतर्कता बोर्ड, गति सीमा नियंत्रक बोर्ड, लाल झण्डे, लाल बत्ती और अवरोधक लगाए रखकर आवश्यक सावधानी बरतेगा। अपनी ओर से हुई लापरवाही के कारण होने वाली समस्त क्षति और दुर्घटनाओं के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। कार्य निष्पादन के समय यातायात को बाधा नहीं पहुंचायी जाएगी।

- (क) व्यक्तियों, वस्तुओं व जानवरों तथा सम्पत्ति को हुई सभी प्रकार की क्षति के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा, भले ही वह चोट या क्षति उससे संबंधित किसी लापरवाही या दुर्घटना के कारण हुई हो। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोक्त कारणों से निर्माण कार्य, इमारतों, सड़कों गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुई क्षति भी शामिल होगी (चाहे वह एकदम पास हो या थोड़ी दूरी पर हो) और इस संविदा के तहत बनने वाले भवनों और निर्माण कार्यों में मौसम की खराबी के कारण हुई क्षति भी शामिल होगी। संविदाकार नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा और सभी विषयों में इस तरह की पूर्वोक्त चोट या क्षति से होने वाले खर्चों के लिए निर्दोष ठहराएगा और कानूनी खर्च सहित ऐसे दावे पर ऊपरलिखित क्षतिपूर्ति व हर्जानों से उत्पन्न खर्च का वहन करेगा।
- (ख) संविदाकार इस खंड में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की क्षति को पुनः स्थापित करेगा, जिससे कि वह संविदा के सम्पूर्ण कार्य को हर तरह से पूर्ण कर सके और तीसरी पार्टी की सम्पत्ति को ऊपरलिखित क्षति के दावों के लिए संतुष्ट कर सके तथा सुधार सके।
- (ग) संविदाकार इस संविदा की चालू हालत के दौरान किसी कर्मचारी, संविदाकार के कर्मचारी के किसी प्रतिनिधि या किसी उपसंविदाकार, जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया है कि जान के जोखिम या चोट के लिए या कुछ समय के लिए अस्तित्व में किसी कानून के तहत किसी मजदूर या किसी मृत या आयोग्य सिद्ध हुए कर्मकार के प्रतिनिधि की क्षतिपूर्ति के दावे के खिलाफ, जो नियोक्ता के ऊपर किया जा सकता है, की क्षतिपूर्ति करता है।
- (घ) नियोक्ता पर संविदा की चालू हालत में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इस संविदा में नियुक्त श्रमिकों और प्रशिक्षकों के संबंध में लागू होने वाले नियमों विनियमों मजदूरी अधिनियम, सूरक्षा अधिनियम से संबंधित नियमों और उनके संशोधनों का अनुपालन न किए जाने पर केन्द्र/राज्य सरकार या सरकार या स्थानीय नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा नियोक्ता पर किए गए दावे की क्षतिपूर्ति भी संविदाकार करेगा।
- (ङ) नियोक्ता को पूर्ण स्वतंत्रता होगी और उसे एतद् द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि वे दी जाने वाली धनराशि नुकसानों या इस तरह के दावों से उत्पन्न खर्चों, क्षतिपूर्ति की कीमतों अधिकारों व खर्चों को ठेकेदार को दी जाने वाली धनराशि अथवा जमा प्रतिभूति में से काट सकता है।
- (च) संविदाकार किसी अतिक्रमण अथवा किसी पेटेंट अथवा डिजाइन के प्रयोग या किसी तथा कथित पेटेंट या डिजाइन के अधिकारों से संबंधित कारवाई, दावे या कार्यवाही के लिए नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा और संविदा में शामिल किसी कार्य अथवा उसके किसी अंश के संबंध में देय किसी रॉयल्टी का भुगतान करेगा। पूर्वोक्ता ऐसे किसी मामले में यदि नियोक्ता के विरुद्ध कोई दावा या कारवाई की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल संविदाकार को दी जाएगी और संविदाकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपने खर्च पर, विवाद का निपटान करे या मुकदमा करे। परन्तु उक्त नियोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा आदेश दिए जाने पर यदि पेटेंट अथवा डिजाइन या किसी तथा कथित पेटेंट या डिजाइन के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविदाकार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

15. अन्य संविदाओं में दावे के संबंध में धारणाधिकार :

- (क) नियोक्ता या सरकार या संविदा देने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या नियोक्ता या सरकार या इस तरह के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार के दावे-संविदाकार द्वारा नियोक्ता के या सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संविदा के कारण या संविदा के अन्तर्गत किसी राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में किसी संविदा के अन्तर्गत प्रतिभूति जमा सहित संविदाकार को दी जाने वाली राशि को धारणाधिकार के रूप में रखा जा सकता है।

(ख) संविदा की यह शर्त भी है कि इस खंड के अन्तर्गत इस प्रकार रोकी गई या प्रतिधारित की गई ऐसी राशि को नियोक्ता द्वारा उसी रूप में या उसी संविदा के अन्तर्गत कोई दावा होने तक या अन्य कोई संविदा या तो आपसी समझौते से या संविदा के माध्यस्थम खंड द्वारा नियंत्रित होने पर माध्यस्थ द्वारा निर्धारित होने तक या सक्षम न्यायालय द्वारा निपटाए जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, रोके रखेगा और उस धारा के अन्तर्गत रोकी गई और संविदाकार को यथा विधि अधिसूचित की गई राशि के लिए संविदाकार किसी प्रकार के ब्याज या हर्जाने के लिए इस आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।

16. दावा की गई राशि का रोक लिया जाना और उसके संबंध में धारणाधिकार:

(क) जब कभी संविदाकार के विरुद्ध किसी धनराशि के संदाय के लिए कोई दावा या दावे संविदा से या उसके अधीन उद्भूत होता है/ होते हैं तब यदि संविदाकार ने कोई प्रतिभूति जमा की है तो नियोक्ता को उसमें से ऐसी पूरी राशि या उसका भाग रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा तथा उक्त प्रयोजन के लिए नियोक्ता को यह हक होगा कि वह दिए गए प्रतिभूति निक्षेप को, यदि कोई हो, ऐसे किसी दावे का अंतिम निपटारा या न्यायनिर्णयन होने तक अपने पास रोक ले और उस पर उसका धारणाधिकार भी होगा। यदि प्रतिभूति की रकम या रकमों के लिए पर्याप्त नहीं है या यदि संविदाकार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई है तो नियोक्ता को, ऐसे दावे का अंतिम निपटारा या न्यायनिर्णयन होने तक, ऐसी राशि या राशियों में से, जो उसी संविदा के या नियोक्ता के माध्यम से किसी संविदाकारी व्यक्ति के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अधीन संविदाकार को संदेय पाई जाए या तत्पश्चात् किसी समय संदेय हो जाए। उस दावाकृत रकम या रकमों के बराबर जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, रकम रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार होगा। इस संविदा की करार पाई गई एक शर्त यह है कि नियोक्ता द्वारा रोकी गई या धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारित की गई ऐसी रकम या रकमों को, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, नियोक्ता द्वारा तब तक रोक रखा या प्रतिधारित किया जाएगा जब तक संविदा से या उसके अधीन उद्भूत दावे का, यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा (यदि संविदा माध्यस्थम खंड द्वारा शासित होती है) या सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारणा नहीं कर दिया जाता है और यह कि इस प्रकार रोक रखने या धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारण के संबंध में, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है या जिसकी संविदाकार को सम्यक सूचना दे दी गई है, ठेकेदार किसी भी ब्याज या नुकसानी के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, जहां संविदाकार भागीदारी फर्म या लिमिटेड कम्पनी है, नियोक्ता को ऐसी किसी राशि में से, जो यथास्थिति, किसी भागीदार/लिमिटेड कम्पनी को उसकी वैयक्तिक हैसियत में या अन्यथा संदेय पाई गई है, इस प्रकार दावा की गई पूरी रकम या उसके किसी भाग को रोक लेने का हक होगा और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा।

(ख) नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण कार्यों की लेखा-परीक्षा और तकनीकी जांच करवाए तथा संविदाकार के अंतिम बिलों को, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल होंगे, अंतिम बिल का भुगतान करने के बाद तैयार करवाए और यदि ऐसी लेखा-परीक्षा एवं तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप यदि कोई राशि उस संविदा के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा किए गए किसी कार्य या उस संविदा के अन्तर्गत उसके द्वारा दावाकृत और किए जा चुके किसी कार्य के संबंध में अति संदेय पाई जाती है और उस कार्य का निष्पादन नहीं किया गया पाया जाता है तो संविदाकार अतिसंदेय राशि को लौटाने का हकदार होगा और नियोक्ता के लिए यह जायज होगा कि वह इस खंड के उप-खंड (क) में निर्धारित रीति से या विधिवत् से उस राशि की वसूली कर लें, और यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार को उस संविदा के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित किसी कार्य के संबंध में जो राशि इस संविदा के अधीन उसके लिए नियत की गई थी, उससे कम या भुगतान किया गया है तो, उस कम भुगतान का नियोक्ता द्वारा संविदाकार को विधिवत् भुगतान किया जाएगा। परन्तु जहां भुगतान के संबंध में एक पक्षकार के रूप में नियोक्ता तथा दूसरे पक्षकार के रूप में संविदाकार के बीच करार हुआ हो, नियोक्ता द्वारा निर्धारण करने के बाद निर्माण कार्य के लिए भुगतान की स्वीकृति देने से संबंधित संविदा की किसी शर्त के अधीन, ना तो नियोक्ता अतिरिक्त अदा की गई किसी राशि की वसूली करने का हकदार होगा और ना ही संविदाकार ही कम अदा की गई राशि का भुगतान करने का हकदार होगा।

17. संविदाकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में :

संविदाकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस संविदा के अन्तर्गत किसी अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियोक्ता के पास संविदाकार को मुआवजा दिए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

18. उप संविदाकार

नियोक्ता के पास परिसर का उपयोग करने का और इस स्थान पर कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार होगा जो संविदा में शामिल नहीं है। संविदाकार नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए सभी उप संविदाकारों, विशेषज्ञों व्यापारियों, कारीगरों तथा अन्य व्यक्तियों को कार्य निष्पादन के लिए या इस संविदा के अन्तर्गत निर्माण कार्य संबंधी सामान की पूर्ति के लिए, सर्विस के लिए, निर्माणधीन इमारत की सजावट के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

19. श्रम विधि एवं शिक्षा अधिनियम का अनुपालन

संविदाकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम विनियम एवं उत्सादन (अधिनियम 1970 के सभी प्रावधानों का एवं उनमें उल्लिखित सभी नियमों एवं आदेशों तथा ठेका श्रम तथा शिशु अधिनियम, 1961 को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम संबंधी नियमों तथा उसमें उल्लिखित सभी नियमों एवं आदेशों को, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं, का अनुपालन करेगा संविदाकार को कार्य शुरू करने से पहले कोन्ट्रैक्ट लेबर (आर. एण्ड.ए.) अधिनियम 1971 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करना होगा जो कि कार्य समाप्ति तक मान्य होना चाहिए।

20. बिलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति :

(क) संविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए निविदा में जो समय दिया गया है, उसका सख्ती से अनुपालन करेगा और संविदाकार की ओर से इसे संविदा के मुख्य अंग के रूप में समझा जाएगा। संविदा के लिए निर्धारित समय में कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा से किया जाएगा और संविदाकार प्रति सप्ताह का कार्य यदि आरम्भ न हुआ हो या समाप्त न हुआ हो या कार्य की नियत मात्रा नियत तिथि के बाद अधूरी हो तो समझौते में दर्शायी गयी पूरे कार्य की राशि के आधार पर नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार (जिसका लिखित में निर्णय अंतिम होगा) संविदाकार क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिशत के बराबर राशि या उससे अपेक्षाकृत कम राशि का भुगतान करेगा।

(ख) इसके अलावा, कार्य के निष्पादन (निर्माण) के दौरान अच्छी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार उन सभी मामलों में, जिनमें संविदा के तहत दिए गए संपूर्ण समय के एक-चौथाई समय बीतने से पहले पूर्ण कार्य का 1/8 भाग पूरा करने के लिए, जिसमें किसी भी काम को दिया गया समय एक महीने से (विशेष कार्य के लिए सुरक्षित) अधिक हो जाता है, इस प्रकार दिए गए समय के आधे समय के बीतने से पहले कार्य का 3/8 भाग पूर्ण करने के लिए और इस प्रकार दिए गए समय का 3/4 बीत जाने से पहले कार्य का 3/4 भाग पूरा करने के लिए बाध्य होगा। परन्तु विशेष कार्य के लिए यदि संविदाकार द्वारा समय सारणी प्रस्तुत की गई है और वह नियोक्ता द्वारा स्वीकार कर ली गई है तो संविदाकार को उक्त समय-सारणी का अनुपालन करना होगा यदि संविदाकार इस शर्त का अनुपालन नहीं कर पाता है तो हर सप्ताह कार्य की उक्त लागत के आधार पर एक प्रतिशत राशि के बराबर या अपेक्षाकृत कम राशि, जैसा कि नियोक्ता (जिसका लिखित में निर्णय अंतिम होगा) निर्णय करेगा, का क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि कार्य की निर्धारित मात्रा अपूर्ण रहती है। बशर्ते कि इस खंड के उपलब्धों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति समझौते में दर्शाए गए कार्य की संपूर्ण लागत की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के फलस्वरूप कार्यों को हुई क्षति :

- (क) जब तक कार्य नियोक्ता को परिदत्त न किया गया हो तथा इससे संबंधित प्रमाण पत्र उससे प्राप्त नहीं कर लिया हो तब तक निर्माण कार्य (चाहे पूर्ण रूप से निर्माण किया गया हो या नहीं) और सभी सामग्री, मशीन औजार तथा संयंत्र, पाड़ अस्थायी भवन और उससे संबंधित अन्य सामान संविदाकार के जोखिम पर रहेंगे। निर्माण कार्य या निर्माण कार्य में लगाने के लिए कार्यस्थल पर सही रूप में लाई गई किसी निर्माण सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की दशा में संविदाकार नियोक्ता द्वारा लिखित में आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलबा हटवाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य में माल बचाने के लिए काम में आने लायक सारी सामग्री इकट्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगवाएगा या उसे भण्डार में ले जाएगा तथा मलबे को कार्यस्थल से साफ करने और काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और नियोक्ता द्वारा आदेश दिए गए सभी कार्यों के पुनः निर्माण के लिए इस करार के उपबंध के अनुसार संविदा की दरों पर भुगतान किया जाएगा तथा यह भुगतान निर्माण कार्य के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से पूर्व वास्तव में किए गए कार्य के मूल्य तक जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है प्रतिकर के अतिरिक्त होगा। यदि निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो गया है या टूट फूट गया है और जिनका पहले से मूल्यांकन और भुगतान नहीं किया गया है तो प्रतिकर का निर्धारण नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। संविदाकार को कार्य में हुए नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापन के लिए भुगतान इस करार के उपबंधों के अनुसार निविदत्त दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की गुणता, मात्रा और जिस प्रयोजन से उसे संग्रहीत किया गया था, उसके संबंध में नियोक्ता का प्रमाण-पत्र अंतिम होगा तथा संविदाकार बाध्य होगा। (ख) संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाली किसी भी हानि की हमेशा क्षतिपूर्ति संदेय नहीं होगी जब तक कि (क) संविदाकार ने हवाई हमले से बचाव के सभी प्रकार के एहतियात की व्यवस्था न की हो जो नियोक्ता या ए.आर.पी. अधिकारी द्वारा अनिवार्य समझा जाता हो
- (ख) ऐसा कोई भी प्रतिकर किसी ऐसी सामग्री इत्यादि के, लिए जो कार्यस्थल पर या किसी ऐसे औजार तथा संयंत्र, मशीनरी, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुओं के लिए, जो उस कार्य के लिए उचित नहीं है, संदेय नहीं होगा।
- (ग) जैसाकि पहले बताया गया है कि यदि संविदाकार को पुनः निर्माण कराना पड़ता है तो इस मामले में उसे कार्य पूर्ण करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा कि नियोक्ता द्वारा उचित समझा जाए।

22. समय बढ़ाना :

- (क) यदि संविदाकार कार्य निष्पादन में आयी अपरिहार्य बाधाओं या अन्य कारणों के आधार पर कार्य को पूरा करने के लिए समय बढ़ाना चाहेगा तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह जिन कारणों के आधार पर समय बढ़ाना चाहता है, इसके लिये उसे बाधा की तारीख से तीस दिन के अन्दर नियोक्ता को लिखित रूप से आवेदन करना होगा और यदि नियोक्ता की सम्मति में (जोकि अन्तिम है) उसमें समुचित कारण दर्शाए गए हैं तो वह इस प्रकार के समय बढ़ाने के अनुरोध को प्राधिकृत कर सकता है यदि उसकी सम्मति में आवश्यक या उचित है।
- (ख) ऐसी दशा में, जबकि कार्य का मूल्य मात्राओं के बिल के मूल्य से अधिक हो तो ऐसे में संविदाकार बढ़े हुए मूल्य के अनुपात में समय बढ़ाने की मांग करने का हकदार होगा।

23. संविदाकार द्वारा कार्य रोकना:

- (क) किसी भी प्रकार के बिलम्ब या घटिया कारीगरी के संबंध में या अन्यथा संविदा किसी प्रकार भंग किए जाने के संबंध में क्षति के लिए किसी दावे हेतु नियोक्ता संविदाकार के विरुद्ध अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संविदा के किसी भी संबंध के अन्तर्गत या अन्यथा किन्ही अधिकारी या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, निम्नलिखित किसी दशा में संविदा को लिखित सूचना द्वारा पूर्णरूप से समाप्त कर सकेगा:-

- (i) यदि इंजीनियर द्वारा संविदाकार को यह लिखित सूचना दिए जाने पर किसी दोषपूर्ण कार्य को सुधारा जाए, पुनः निर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुचित या कर्मकौशल रहित रूप में किया जा रहा है। ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात् सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या यदि संविदाकार कार्य निष्पादन में इस प्रकार बिलम्ब करता है या निलम्बित रखता है तो नियोक्ता के निर्णयानुसार (जो अन्तिम तथा आबद्धकर होगा) कार्य किए जाने की तारीख तक कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होगा या वह उस तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहेगा।
- (ii) यदि संविदाकार, एक कम्पनी होने के नाते या प्रस्ताव पारित करता है या न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि कम्पनी का परिसमापन कर दिया जाए या यदि लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती है या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती है।
- (iii) यदि संविदाकार इस संविदा की किसी शर्त को भंग कर देता है।
- (iv) यदि ठेकेदार यहां धारा 13 में उल्लिखित कोई कार्य करता है।
- (ख) जब संविदाकार पूर्वोक्त किसी मामले में कार्यवाई करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना लेता है तो नियोक्ता को निम्नलिखित अधिकार होंगे :
- (i) पूर्वोक्त संविदा का निर्धारण करना या उसे निरस्त करना (जिसकी समाप्ति या मसूखी की लिखित में सूचना संविदाकार को देने के लिए नियोक्ता के अधीन है, जो कि अंतिम प्रमाण होगा) इस प्रकार के निर्धारण या मसूखी पर संविदाकार की प्रतिभूति जमा जब्त किए जाने योग्य होगी तथा पूर्णरूप से नियोक्ता के निपटान पर निर्भर करेगी।
- (ii) जिन श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है अभियन्ता उन्हें नियोजित करें तथा कार्य को पूरा करने के लिए या कार्य के किसी भाग को पूरा करने के लिए सामग्री का प्रदाय करे और श्रमिक की लागत तथा सामग्री की कीमत संविदाकार के नाम डाल दें (इस खर्च तथा कीमत की इंजीनियर द्वारा प्रमाणित रकम संविदाकार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगी) और सभी प्रकार के किए गए कार्य का मूल्य उसी रीति में और उन्हीं दरों पर उसके खाते में जमा कर दें, मानों वह कार्य संविदाकार ने अपनी संविदा के निबंधनों के अधीन किया है। किए गए कार्य के मूल्य के बारे में इंजीनियर का प्रमाण पत्र संविदाकार के विरुद्ध अंतिम तथा निश्चायक होगा बशर्ते कि इस उपखंड के अधीन कार्यवाही केवल तभी की जाएगी जब ठेकेदार को लिखित में इसकी सूचना दे दी गई हो। परन्तु यदि नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले खर्च संविदाकार को उसकी करार-दरों पर संदेय रकम से कम है तो उनके बीच के अंतर का भुगतान संविदाकार को नहीं किया जाना चाहिए।
- (iii) संविदाकार को सूचना (नोटिस) देने के बाद उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे संविदाकार को पूरा करने के लिए दे और इस मामलों में उस राशि से, जो संविदाकार को भुगतान की गई होती जब उसने पूरा कार्य निष्पादित किया जाता, अधिक उपगत कोई व्यय (जिस अधिक रकम के संबंध में इंजीनियर का लिखा प्रमाण पत्र अंतिम और निश्चायक होगा) मूल संविदाकार द्वारा उठाया जाएगा और वही उसका भुगतान करेगा और इस संविदा के अधीन या किसी भी अन्य लेखे उसको (संविदाकार को) देय किसी धन में से या उसके प्रतिभूति निक्षेप में से या उसके विक्रय आगमों में से या उसके पर्याप्त भाग में से काट लिया जाएगा।

- (iv) नियोक्ता द्वारा उपरोक्त में से कोई एक या अधिक मार्ग अपनाए जाने की दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा, जो उसे कार्य के निष्पादन या संविदा के परिपालन के कारण या उसकी दृष्टि से उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने या कोई वचनबद्ध कर लिए जाने या कोई अग्रम दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो। यदि पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन कारवाई की जाती है तो संविदाकार इस संविदा के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि इंजीनियर ने ऐसे कार्य का संपादन और उसके बारे में संदेय कीमत लिखित रूप में प्रमाणित न कर दी हो और वह केवल ऐसी कीमत का संदाय किए जाने का ही हकदार होगा जो इस प्रकार प्रमाणित की गई हो।

24. प्रतिभूत अग्रिम :

यदि नियोक्ता द्वारा सहमति दी जाती है तो कार्य निष्पादन की प्रगति के दौरान नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में संविदाकार को अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने पर अनुमानित मूल्य के 75 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता है, जिसमें किसी सामग्री की तैयार मद के लिए बाजार मूल्य और संविदाकार की निविदा को ध्यान में रखा जाएगा, जिसे इंजीनियर के अभिमत में अगले तीन महीनों में कार्य में शामिल किए जाने की संभावना है, अविकारी है तथा संविदा के अनुसार है और उसके बाद जिसे कार्यस्थल पर लाया जाता है तथा सही रूप से भंडार में रखा गया हो तथा मौसम या अन्य कारणों से क्षति से बचाव किया गया हो। जब इस खंड के अन्तर्गत सामग्री के बदले में उधार लिया गया हो तथा उसे कार्य में सम्मिलित किया गया हो तो इस संविदा के किसी खंड या खंडों के अधीन अगले भुगतान से इस प्रकार की उधार की राशि की कटौती की जाएगी।

25. प्रमाण पत्र और भुगतान :

- (क) जब तक सम्पूर्ण कार्य पूरा न हो गया हो और समापन प्रमाण पत्र न दिया गया हो तब तक दस हजार रूपये या इससे कम की प्राक्कलित लागत वाले किसी कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। परन्तु दस हजार रूपये से अधिक की प्राक्कलित लागत के अनुमानित कार्य के मामले में संविदाकार बिल प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के अनुपात में इंजीनियर की संतुष्टि होने पर, जिसके संबंध में इस प्रकार भुगतान योग्य राशि का प्रमाण पत्र संविदाकार के लिए अन्तिम और निर्णायक होगा, मासिक भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। बशर्ते कि किए गए कार्य की मात्रा माध्यमिक प्रमाण पत्र के मूल्य के अनुसार हो या कम मात्रा के लिए एन आई टी में उल्लिखित इंजीनियर के विवेक के अनुसार हो। किन्तु ऐसे अतः कालीन भुगतानों को अंतिम भुगतान के प्रति अग्रिम के रूप में भुगतान माना जाएगा कि वास्तव में किए गए और पूर्ण हो चुके कार्य के लिए भुगतान माना जाएगा। इससे घटिया, दोषपूर्ण, अधूरा या अकुशल कार्य को हटाने या दूर करने की और उसका पुनः निर्माण करने या उसे फिर परिनिमित्त करने की अपेक्षा करना प्रवारित नहीं होगा और न इसे संविदा या उसके किसी काम के किसी रूप में सम्यक अनुपालन किया किसी दावे के प्रोद्भूत होने की स्वीकृति समझा जाएगा और न ही यह इन शर्तों की अधीन लेखों के अंतिम परिनिर्धारण और समायोजन के बारे में या अन्यथा नियोक्ता की शक्तियों को या उनमें से किसी को किसी भी प्रकार से पर्यवसित समाप्त या प्रभावित करेगा या संविदा में किसी अन्य रूप में फेरफार करेगा या उस पर प्रभाव डालेगा। संविदाकार द्वारा अंतिम बिल कार्य समाप्ति के लिए नियत तारीख या नियोक्ता द्वारा कार्य समाप्ति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किए गए बिल में यदि पूरे किए गए कार्य का मूल्य दो लाख रूपये तक है तो बिल प्रस्तुत किए जाने के तीन मास में और यदि यह दो लाख से अधिक है तो छह मास में भुगतान किया जाएगा। यदि किसी कार्य की मद या मदों के बारे में कोई विवाद हो तब केवल विवाद रहित मद या मदों का भुगतान यथास्थिति उल्लिखित अवधि तीन मास या छह मास में कर दिया जाएगा।

- (ख) जब कभी चालू भुगतान करने के लिए विस्तृत मापों के अभिलेखन में विलम्ब होने की संभावना हो तो किए गए कार्य के लिए विस्तृत मापों के बिना मूल्यांकित मात्राओं के लिए प्रदान की गई दरों के 75 प्रतिशत निष्पादित कार्य का अग्रिम भुगतान इंजीनियर के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोक्ता द्वारा चालू लेखा बिलों में किया जा सकता है। इस प्रकार दिए गए अग्रिम भुगतानों का उसके कार्य का विस्तृत माप लेकर अनुवर्ती चालू खातों में समायोजन किया जाएगा। केवल विस्तृत मापों के आधार पर अंतिम भुगतान किया जाएगा।
- (ग) संविदाकार कार्यालय से प्राप्त मुद्रित प्रपत्र में प्रत्येक मास इंजीनियर द्वारा नियत तिथि को या उससे पहले बिल प्रस्तुत करेगा। इंजीनियर उसे सत्यापित करने के प्रयोजन से उसका अपेक्षित माप लेगा या कराएगा और दावा जहां तक वह अनुज्ञय है, यथासंभव बिल पेश किए जाने से दस दिन की समाप्ति से पहले समायोजित किया जाएगा। यदि संविदाकार उक्त नियत समय के भीतर बिल प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इंजीनियर उक्त नियत तारीख से सात दिन के भीतर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त कार्य की माप संविदाकार की उपस्थिति में लेने के लिए भेज सकेगा, जिसके माप पर हस्ताक्षर पर्याप्त आधार माने जाएंगे और इंजीनियर ऐसे मापनों से बिल तैयार कर सकेगा।
- (घ) किसी कार्य का मापन लेने से पूर्व इंजीनियर या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि संविदाकार को तर्कसंगत नोटिस देगा। यदि इस प्रकार के नोटिस के बाद संविदाकार उपस्थित नहीं होता या हस्ताक्षर करने से मना करता है या इंजीनियर द्वारा अपेक्षित तरीके से मापन की तारीख से अपना मत-भेद व्यक्त करता है तब इस प्रकार के मामले में इंजीनियर द्वारा उसके द्वारा प्रतिनियुक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसा भी मामला हो द्वारा लिया गया मापन अंतिम होगा तथा संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा और संविदाकार को उस पर विवाद करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ङ) बिलों में प्रभारों की प्रविष्टियां हमेशा करार में विनिर्दिष्ट दरों या इन स्थितियों के अनुसरण में दिए गए किसी अतिरिक्त निर्माण कार्य के मामले में तथा जिनका खंड-10 के अनुसार निर्धारित दर पर करार में उल्लेख नहीं किया गया या व्यवस्था नहीं की गयी है, पर की जाएगी। यदि निर्माण कार्य की मदे आंशिक रूप से निष्पादित की गयी है तो नियोक्ता स्वविवेक से इंजीनियर द्वारा निर्धारित इस प्रकार की मदों के लिए अनुपातिक दरों की अनुमति दे सकता है। उसका इस देय राशि का प्रमाण पत्र संविदाकार के लिए अन्तिम और निर्णायक होगा।

26. प्रतिभूति जमा :

- (क) हर चालू बिल के ग्रास राशि में से तब तक 10 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिभूति जमा राशि काटी जाएगी जब तक कि वह काटी गई राशि व बयाना राशि (दोनों मिलाकर) प्रतिभूति राशि निविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक न हो जाए। इसके अलावा ठेकेदार को निविदा मूल्य के 5 प्रतिशत के हिसाब से परफॉर्मंस सिक्वोरिटी के रूप में जमा करवानी होगी। यह राशि जो एवार्ड पत्र ठेकेदार को दिया जाएगा उसमें जो समय दिया गया होगा उसके अनुरूप जाम होगी।
- (ख) यदि संविदाकार द्वारा नियोक्ता को अनुसूचित बैंक की आवधिक जमा रसीदें प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं तथा बैंक परिसमाप्त हो जाता है या किसी कारण से उक्त आवधिक जमा रसीद का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उनसे होने वाली हानि संविदाकार वहन करेगा तथा संविदाकार उपर्युक्त चालू बिल से घाटे की इस राशि की पूर्ति के लिए तत्काल मांग करने पर अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा इस प्रकार की कटौती प्रतिभूति जमा के माध्यम से की जाएगी परन्तु इस कार्य के लिए नियोक्ता को हमेशा प्रत्येक चालू बिल से उक्त राशि का प्रतिशत वसूल करने का हक होगा जब तक कि प्रतिभूति जमा की शेष राशि वसूल नहीं हो जाती। इस संविदा की शर्तों के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा देय समस्त क्षतिपूर्ति या अन्य धनराशि, प्रतिभूति जमा में से या उससे मिलने वाले ब्याज या किसी अन्य राशि से, जोकि किसी खाते से नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय हो या देय हो गयी हो, कटौती कर ली जाए। उपर्युक्त ऐसी किसी कटौती के कारण यदि उसकी प्रतिभूति जमा घटाई जाती है तो संविदाकार दस दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति का नकद भुगतान करेगा या पुनः आवधिक जमा

रसीद नियोक्ता के पक्ष में गिरवी रखेगा। प्रतिभूति जमा उपर्युक्त दर से संविदाकार के चालू बिलों से एकत्र की जाएगी तथा निविदाओं के समय, यदि बयाना राशि जमा की गयी है तो उसे प्रतिभूति जमा के अंश के रूप में माना जाएगा।

- (ग) यदि संविदाकार चाहता है तो वह प्रतिभूति जमा के रूप में आवधिक जमा रसीद अग्रिम के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी प्रत्येक आवधिक जमा रसीद कम से कम 25,000/-रूपये की होगी। (ऐसी आवधिक जमा रसीद राशि के आधार पर कम मूल्य की हो सकती है) चालू लेखा बिल से कोई वसूली की जानी है तो इस प्रकार वसूल की गई राशि आवधिक जमा रसीद से स्थानान्तरित नहीं की जाएगी। यह संविदाकार के हित में हैं कि वह प्रस्तुत की गई आवधिक जमा रसीद की पर्याप्तता के बारे में निगरानी रखे।
- (घ) दोषपूर्ण देनदारी अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा की कोई आंशिक वापसी नहीं की जाएगी। यदि नियंत्रण से बाहर के कारणों से अंतिम बिल का अनुबंधित अवधि में निपटान नहीं हो जाता और नियोक्ता इस बात से संतुष्ट हो कि इस या किसी संविदा के अधीन अन्य नियोक्ताओं को देय राशि अन्य देय राशि के समायोजन के लिए प्रतिभूति जमा अपेक्षित नहीं है तो नियोक्ता के एक मात्र स्वविवेक से हम प्रतिभूति जमा राशि की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापसी की जा सकती है। फिर भी, श्रम अधिकारी द्वारा लिखित में कोई देय राशि या दावा नहीं है पारित के बाद ही जमा प्रतिभूति जारी की जाएगी।
- (ङ) ठेके की समाप्ति पर यह प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी तथा इस राशि की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि नियोक्ता के साथ इस ठेके या किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत ठेकेदार को देय धनराशि से वसूल की जाएगी।

27. समापन प्रमाण-पत्र

निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिन के अन्दर संविदाकार नियोक्ता को निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना देगा तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति के दस दिन के अंदर इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा। यदि कार्य में कोई दोष नहीं है तो नियोक्ता निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संविदाकार को देगा अन्यथा दोषों कमियों को दर्शाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा परन्तु निर्माण कार्य तब तक पूर्ण न समझा जाएगा जब तक कि संविदाकार पाड़, अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा करकट जिनसे कार्य किया गया है तथा सभी झोपड़ियाँ और अपन कार्य के लिए अपेक्षित सफाई व्यवस्थाओं, संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य निष्पादन के लिए निर्माण स्थान पर बसाए गए व्यक्तियों को तथा काष्ठ से बनी सभी वस्तुओं : दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्श या भवन के अन्य भागों में, या उनके ऊपर कार्य पूर्ण करने के कारण पड़े धब्बे, छींटे, मल नहीं हटा देता या उन वस्तुओं को निर्माण-स्थल से नहीं हटा देता, जिनका अधिकार उसे निर्माण कार्य निष्पादन के उद्देश्य से दिया गया है। यदि संविदाकार निर्माण कार्य समाप्ति के लिए नियत तारीख तक या उसके पहले इस खंड की अपक्षाओं को पूरा नहीं करता तो नियोक्ता संविदाकार के जोखिम और खर्च पर ऐसी कारवाई करेगा जिसे वह उचित समझेगा तथा संविदाकार का इसकी बिक्री से वास्तव में वसूल की गई राशि के अलावा कोई दावा नहीं होगा।

28. मूल्य वृद्धि (ऐस्केलेशन) :

- (क) यदि नियोक्ता द्वारा सामग्री की कीमत नहीं दी जाती है तथा/या निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी जाती है तो संविदाकार को नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा तदानुसार संविदाकार की राशि भिन्न-भिन्न होगी। मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए ही की जाएगी। इसमें वह अवधि भी है, जिसके लिए संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 20 के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली किए बिना संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 22 के उपबंधों के अनुसार विधिसम्मत रूप से बढ़ाई गई है यह क्षतिपूर्ति इस शर्त के अनुसार भी की जाएगी कि ऐसे निर्माण कार्य के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि देय नहीं होगी जिसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि 18 महीने या इससे कम है। जब सामग्री मूल्य और श्रम में वृद्धि के कारण ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं देय होगी तो उसकी निम्नलिखित उपबंधों के आधार पर गणना की जाएगी:-

- (i) मूल्य वृद्धि की गणना के लिए मूल तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिसमें निविदाएं प्राप्त करना अनुबंधित थी।
- (ii) कार्य की लागत जिस पर मूल्य वृद्धि देय होगी की गणना चालू या अंतिम बिल के अनुसार कार्य की लागत के रूप में की जाएगी तथा इस राशि से नियोक्ता द्वारा दी गई सामग्री के मूल्य और विशेष बिल से वसूल करने के लिए प्रस्तावित मूल्य की कटौती मूल्य वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने से पहले की जाएगी। यदि निर्माण-स्थल पर सामग्री का पूर्ण मूल्य (न कि घटायी गई राशि जिसके लिए प्रतिभूति उधार की राशि का भुगतान किया गया) इस खंड के प्रवर्तन के लिए किए गए निर्माण कार्य की लागत में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार जब इस प्रकार की सामग्री निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो प्रतिभूत (उधार की राशि बिल से घटा दी जाती है तथा इस खंड के प्रवर्तन के लिए मूल रूप से विचार की गई सामग्री की पूर्ण निर्धारित मूल्य चालू या अंतिम बिल में दर्शाये गए कार्य की लागत से घटाया जाएगा इसके अलावा निर्माण कार्य की लागत में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसके लिए विद्यमान बाजार दरों पर भुगतान किया गया है।
- (iii) सामग्री और श्रमिकों के लिए वृद्धि की क्षतिपूर्ति की नीचे दिए गए फार्मूला के अनुसार गणना की जाएगी :

$$VM = W \frac{A}{100} \times \frac{(MI-MIO)}{NIO}$$

VM— सामग्री लागत में परिवर्तन अर्थात् भुगतान या वसूल की जाने वाली राशि में वृद्धि या ह्रास

W— किए गए कार्य की लागत की गणना जैसा कि उपर्युक्त उप-खंड (ii) में दर्शाया गया है।

A— निर्माण कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के अनुसार व्यक्त सामग्री के घटक तथा जैसा कि 75 पूर्वनिर्धारित है।

MI— गणना की जाने वाली अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकाशित वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक।

MIO— निविदाएं प्राप्त होने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक।

$$VL = W \frac{B}{100} \times \frac{(LI-LIO)}{LIO}$$

VL— श्रम लागत में परिवर्तन अर्थात् भुगतान या वसूल की गई राशि में वृद्धि या ह्रास

W— किए गए निर्माण कार्य की मूल्य गणना इसकी उपर्युक्त उप-खंड (ii) के अनुसार की गई है।

B— निर्माण कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त श्रम के घटक और जैसाकि 25 पूर्वनिर्धारित है

LI— विचारधीन अवधि के संबंध में गणना में शामिल अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

LIO— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा जो निविदाएं प्राप्त होने की निर्धारित तारीख तक वैध हैं।

उपर्युक्त उप खंड (ii) में उल्लिखित सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा :

- (i) मूल्य वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की गणना अर्धवार्षिक अन्तराल पर तथा उक्त निर्माण-कार्य के छह कैलेन्डर मास के दौरान किए गए कार्य की लागत के संबंध में की जाएगी। जिस मास में निविदा स्वीकृत की गई थी, उसके पश्चात् 6 मास के अंत में ऐसा पहला भुगतान किया जाएगा तथा उसके बाद 6 मास के अन्तराल पर भुगतान किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के समय भुगतान की अन्तिम अवधि 6 मास से कम हो जाएगी और वह निर्माण-कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि पर निर्भर होगी।

- (ii) ऐसे 6 मास से संबंधित सूचकांक (MI या LI) जिसके लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है, 6 कैलेंडर मास से संबंधित सूचकांकों का गणितीय औसत होगा। यदि भुगतान की ऐसी अंतिम किस्त से 6 मास पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 मास से कम है तब (MI या LI) सूचकांक उस अवधि के अंदर आने वाले महीनों के लिए सूचकांकों का औसत होंगे।
- (iii) आधार सूचकांक (MIO या LIO) उस मास से संबंधित होगा जिसमें निविदा प्राप्त करना नियत था।
- (ग) यदि निर्माण निष्पादन के लिए अपेक्षित सामग्री का मूल्य और/ या श्रम मजदूरी घट जाती है तो निर्माण कार्य की लागत भी कम हो जाएगी और इस संविदा के अधीन कार्य की लागत से सामग्री के मूल्य और/या श्रम मजदूरी मजदूरी की कटौती की जा सकेगी तथा इस संबंध में इस खंड के अंतर्गत पहले दिया गया फार्मूला यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा परन्तु यदि संविदाओं के मामले में निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 मास या 18 मास से कम है तो पूर्व उल्लिखित सामग्रियों की कीमतों और/या श्रम मजदूरी में ह्रास के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
- (घ) लिफ्ट इलैक्ट्रिकल एवं मकैनिकल जैसे विशेष कार्य, जहां पर भवन निर्माण कार्य जैसी लागत विविधता परिवर्तन नहीं है, में वृद्धि हेतु नियोक्ता अपने विवेकानुसार IEEMA खण्ड की शर्त रख सकता है।

29. माध्यस्थम्

- (क) जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित है, वहां के सिवाय इसमें इसके पूर्व वर्णित विनिर्देशनों, डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित और कार्य में प्रस्तुत कर्मकौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावे अधिकार, बात या चीज के संबंध में वह चाहे जो भी हो, जो संविदा, डिजाइनों, विनिर्देशनों, प्रक्कलनों, अनुदेशों या इन शर्तों से किसी भी प्रकार उद्भूत हुई है या उससे संबद्ध है या अन्यथा कार्यों के संबंध में है अथवा उसके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से संयुक्त है, सभी प्रश्न और विवाद चाहे व कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरे हो जाने या परित्याग के पश्चात् उद्भूत हुए हैं विवाद के समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एक मात्र मध्यस्थ किए जाएंगे। किसी भी पार्टी के निवेदन प्राप्ति के उन दिनों के भीतर एक माध्यमस्थम् किया जाएगा। उस मध्यस्थ के जिसको विवाद मूलतः निर्दिष्ट किया गया है किसी कारणवश कार्य करने के लिए अनुच्छुक्त होने या असमर्थ होने पर महानिदेशक संविदा के निबंधनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था, आगे कार्यवाही करने का हकदार होगा। माध्यस्थ मौखिक निर्णय दे सकता है। माध्यस्थम् का निर्णय अन्तिम होगा और दोनों को यह मान्य होगा। माध्यस्थम् का खर्च दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा।
- (ख) इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि माध्यस्थम् का इच्छुक संविदाकार इस खंड के अधीन माध्यस्थम् को निर्देशित किए जाने वाले विवाद या विवादों के साथ प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई रकम या रकमों को भी विनिर्दिष्ट करेगा।
- (ग) इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि यदि संविदाकार नियोक्ता से यह सूचना मिलने के कि बिल संदाय के लिए तैयार है, 90 दिन के लिखित रूप में किसी दावे (दावों) की बावत माध्यस्थम् की कोई मांग नहीं करता है/करते हैं तो संविदाकार (संविदाकारों) का दावा अधिव्यक्त और पूर्ण रूप से वर्जित माना जाएगा। और नियोक्ता संविदा के अधीन उन दावों के संबंध में सब दायित्यों से उन्मोचित और निर्मुक्त हो जाएगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिनियम एवं समाधान 1956 या उसके सांविधिक आशोधन या पुनराधिनियमित और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खंड के अधीन माध्यस्थम् निर्देश को लागू होंगे।

30. विखण्डित सामग्री

संविदाकार कार्य के दौरान किसी निर्माण के विखण्डित 'मतअपवमे नई लेजमऊ पदनेससपवद' कार्यस्थल खाती/साफ करते समय किसी भी प्रकार की सामग्री को नियोक्ता की सम्पति मानेगा और ऐसी सामग्री को इंजीनियर द्वारा लिखित अनुदेशों के अनुरूप नियोक्ता के लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग में लाएंगे।

31. कार्य निष्पादन गारन्टी

यह सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार द्वारा संविदा के अन्तर्गत का कुछ कार्य या सारा कार्य पूरा कर दिया गया है संविदा प्रदान करने वाला अधिकारी यदि आवश्यकता समझे तो कार्य प्रदान करने से पूर्व संविदाकार से कार्य निष्पादन गारन्टी ले सकता है।

विशेष शर्तें

1. इन विशेष शर्तों से संविदा के सामान्य विनिर्देशन और सामान्य शर्तों के अभिप्रेत हैं,
2. निर्माण-कार्य सी पी डब्ल्यूडी के विनिर्देशन के अनुसार किया जाएगा। किसी प्रकार की विसंगति होने पर व्याख्या के लिए अग्रता का क्रम निम्नलिखित होगा :
 1. मात्राओं की अनुसूची
 2. आरेखन
 3. अतिरिक्त शर्त
 4. संविदा की सामान्य शर्तें
 5. विशेष शर्तें
 6. अतिरिक्त शर्तें
 7. सी पी डब्ल्यूडी आधुनिकतम सिविल एवं इलैक्ट्रिकल निर्माण कार्य विनिर्देशन।
 8. आई एस कोड
 9. अन्तर्राष्ट्रीय कोड,
 10. उतम इंजीनियरी प्रैक्टिस

3. स्टील

1. संविदा में जैसा कि अन्यत्र बताया गया है वैसा ही स्टील दिया जाए जो आर सी सी कार्य के लिए प्रबलन छड़ों हेतु हो। स्टील कार्य की अन्य मदों के लिए ठेकेदार वैसा ही स्टील प्राप्त करेगा।
2. आर सी सी कार्य के लिए प्रबलन छड़े उपलब्ध काइलों तथा सीधी लम्बाई की दी जाएंगी। छड़ों की मजबूती के लिए किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. 10 मि. मी. ब्यास से अधिक ब्यास के स्टील का मामला सेक्शनल वेट के आधार पर नियमित किया जाएगा भार परिकलन उन मानक सैक्शनल वेट से किया जाएगा जो के.लो.नि. के नवदीनतम विनिर्देशनों में लम्बाई को वजन में परिवर्तित करने के लिए दिया गया है। किन्तु 10 मि. मि. ब्यास वाली स्टील की छड़ी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रत्येक ब्यास की स्टील की छड़ों का औसत सैक्शनल वेट निर्माण स्थल पर प्राप्त किए गए स्टील के प्रत्येक लॉट के नमूने से निकाला जाएगा। वास्तविक और मानक गुणांक में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए दी गई स्टील के वास्तविक वजन में आशोधन किया जाएगा और केवल इस आशोधित मूल्य को संविदाकार के खर्च में लिखा जाएगा।
4. स्टील की अनुमान मूलक खपत के संबंध में प्रबलन छड़ों को संविदा में बताए गए अनुसार धडिक वसूली के उद्देश्य से ब्यास वार सही किया जाएगा।

4. सीमेंट

1. संविदा में जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया सीमेंट निर्माण स्थल के लिए ही दिया जायेगा। फैक्ट्री लिए तैयार सामग्री जैसे पूर्व निर्मित टाइल, खोखले कंक्रीट ब्लाक, आर सी सी पाईप आदि नहीं दिए जाएंगे।
5. जब तक कि मात्रा की अनुसूची में अन्यथा उपलब्ध न किया गया हो, संविदाकार द्वारा दी गई दरें निर्माण कार्य की सभी उचाईयों, लिफ्टों और गहराई के लिए लागू होंगी तथा इस बारे में कुछ भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
6. खोदी गई अतिरिक्त मिट्टी जो इंजीनियर के कार्य की आवश्यकता के अलावा है, उसके संबंध में नियोक्ता द्वारा संविदाकार को यह अनुमति दी जाती है कि वह स्वयं अपने विवेकानुसार इसका निपटान कर दे अथवा प्राईवेट पार्टी को खोदी गई अतिरिक्त मिट्टी बेचे परन्तु यदि नियोक्ता के किसी अन्य कार्य में उस मिट्टी की आवश्यकता नहीं है तो अतिरिक्त मिट्टी के निपटान या उसे ले जाने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्तें

1. संरचनात्मक एवं वस्तु संबंधी आरेखनों में कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा उचित रूप से सह-सम्बन्ध स्थापित किया जाएगा। तथापि, निविदा के साथ सलग्न मात्राओं की अनुसूची में दी गई मदों में एवं संबंधित मद के आरेखन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर पहले वाला प्रभावी होगा जब तक कि इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से न दिया जाएगा।
2. निर्माण-कार्य निष्पादन के समय वर्षा, हिमपात, बाढ़ या किसी प्राकृतिक कारण से हुए नुकसान के लिए संविदाकार को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य की हानि को क्षतिपूर्ति संविदाकार अपने खर्च से करेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री विनिर्देशकों के अनुसार और आई एस आई मार्क जहां जो लागू हो, के अनुसार होगा। दी गई आई एस आई मार्क का संबंध नवीनतम बी आई एस कोड से है जिसे निविदा खोलने की तारीख से पहले 30 तीन तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया है।
4. संविदाकार मानक विनिर्देशनों और/या इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार संपूर्ण अधिष्ठावन का कार्य-निष्पादन परीक्षण करेगा तथा परीक्षण प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा जैसा कि म्यूनिसिपल/ इलैक्ट्रिकल प्राधिकारों या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है। दिए गए शुल्क के अलावा ऐसे प्राधिकारियों को उस कार्य के लिए कुछ भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी जिसकी रसीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रतिभूत-आधार के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप मेंजिसे इसमें आगे संविदाकार कहा गया है, और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिनी भी हैं, जब तक कि संदर्भ से ऐसा स्वीकार किया गया हो या समझा गया हो और दूसरे पक्षकार के रूप में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है, जिसे इसमें आगे नियोक्ता कहा गया है तथा इसके अंतर्गत सोसायटी के उत्तरधिकारी, समनुदेशिनी और प्राधिकृत भी हैं, के बीच आज तारीख.....को किया गया है।

तारीख.....के करार (जिसे इसमें आगे उक्त करार कहा गया है) द्वारा संविदाकार सहमत हो गया है तथा संविदाकार ने नियोक्ता को यह आवेदन किया है कि वह उसे निर्माण स्थल पर पूर्ण रूप से उससे संबंधित तथा उसके द्वारा लाई गई सामग्रियों की प्रतिभूति के आधार पर उक्त करार के अनुसार इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए उधार की अनुमति दे जैसाकि उसके पूर्ण कार्य) इसमें सामग्री तथा श्रम की लागत और अन्य प्रभाव भी शामिल हैं के लिए नियत दरों पर निष्पादित करने का वचन दिया है और नियोक्ता संविदाकार को सामग्रियों की प्रतिभूति के आधार पर (रूपये... ..)उधार देने के लिए सहमत हो गया है सामग्री की मात्रा व अन्य विवरण तारीख.....को संविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्माण कार्य के चालू लेखा बिल से संलग्न प्रतिभूत उधार के लेखा में दिए गए हैं और नियोक्ता को निर्माण स्थल पर संविदाकार द्वारा लाई गई अन्य सामग्रियों की प्रतिभूति के आधार पर आगे कोई अन्य उधार देने का है। यह करार इस बात की साक्षी है कि उक्त करार के अनुसार तथा उन विलेखों के निष्पादन तक अथवा उसके पहले नियोक्ता द्वारा संविदाकार को दी गई रूपये.....की राशि जिसकी रसीद संविदाकार एतद्वारा प्राप्त करता है के प्रतिफलस्वरूप और इस प्रकार आगे उधार दी गई राशि यदि कोई है जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, संविदाकार एतद्वारा प्रसंविदा करता है तथा नियोक्त से सहमत है और निम्नलिखित प्रकार से घोषणा करता है:

ऊपर दिए अनुसार नियोक्ता द्वारा संविदाकार को उधार दी गई.....रूपये की राशि तथा उधार दी गई सभी या अन्य कोई राशि या राशियों, को संविदाकार उक्त निर्माण कार्य का निष्पादन शीघ्रता से करने के लिए काम में जाएगा न कि इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य, जो भी हो के लिए करेगा।

प्रतिभूत उधार के उक्त लेखा में दी गई सामग्री जिसके संबंध में प्रस्ताव किया गया है और प्रतिभूति के रूप में नियोक्ता द्वारा स्वीकार की गई है, पूर्ण रूप से संविदाकार की अपनी संपत्ति है तथा सभी प्रकार से भारमुक्त है और संविदाकार उस सामग्री की प्रतिभूति के आधारपर आगे और उधार प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन करेगा जो पूर्ण रूप से उसकी अपनी संपत्ति नहीं है व सभी संविदाकार उस सामग्री के संबंध में नियोक्ता को सारे दावों की राशि की क्षतिपूर्ति करेगा, जिसके लिए उपर्युक्तानुसार उसे उधार दिया गया है।

प्रतिभूत उधार के उक्त लेखा में दी गई सामग्री तथा वह सारी सामग्री जिसकी प्रतिभूति आधार पर आगे और उधार दिया जाएगा (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जिसे इसके बाद उक्त सामग्री कहा जाएगा का प्रयोग केवल संविदाकार द्वारा इंजीनियर के निर्देशों तथा उक्त करार की शर्तों के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए किया जाएगा। संविदाकार उक्त सामग्रियों के सभी जोखिमों के संबंध में उचित निगरानी और सुरक्षित अभिरक्षा करेगा और सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर सभी आवश्यक तथा पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा तथा जब तक कि उक्त सामग्री का उपर्युक्त निर्माण कार्य में उपयोग नहीं हो जाता तब तक उक्त सामग्री संविदाकार की अभिरक्षा में तथा उसके अपने उत्तरदायित्व में उक्त निर्माण-स्थल पर रहेगी तथा किसी भी समय नियोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुली

रहेगी। उक्त सामग्री या उसके किसी भाग की चोरी हो जाने, उसके नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने या बड़ी मात्रा में खराब हो जाने पर उसके क्षय के लिए संविदाकार उसी गुणवत्ता की दूसरी सामग्री से उसे अविलम्ब बदल देगा या उसकी मरम्मत करेगा और उसका सही स्थिति में लाएगा जैसाकि इंजीनियर ने मांग की हो।

5. नियोक्ता या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सामग्री किसी भी कारण से उक्त निर्माण-स्थल से हटाई नहीं जाएगी।
6. उक्त करार की शर्तों और उपबंधों के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के लिए संविदाकार को देय कीमत नियोक्ता से प्राप्त करने से पूर्व उधार की राशि पूर्ण रूप से प्रतिसंदेय होगी तथापि यदि किए गए निर्माण कार्य के बारे में संविदाकार को कोई अतः कालीन संदाय किया जाता है तब प्रत्येक ऐसे संदाय पर नियोक्ता को ऐसे संदाय के लिए संविदाकार के बिल से वसूली करने का अधिकार होगा। वह वसूली संविदाकार के बिल से उस सामग्री के मूल्य की कटौती करके की जाएगी, जिसे वास्तव में निर्माण कार्य में प्रयोग में लाया गया है और जिसके संबंध में पहले वसूली नहीं की गई है। प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारण प्रत्येक सामग्री के संबंध में उन दरों पर किया जाएगा, जिन पर इन विलेखों के अंतर्गत उधार की राशि की गणना की गई।
7. यदि संविदाकार किसी समय उक्त करार या विलेख के उपबंध की किसी शर्त के पालन या निष्पादन में कोई चूक करता है तो वह उधार की कुल धनराशि जो नियोक्ता के पास हैं, ऐसी चूक होने के तुरन्त बाद नियोक्ता से उसी तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उधार की तारीख से वापस लौटाने की तारीख तक वापस लौटाएगा और इनमें समस्त लागत प्रभार क्षति और नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय या उसकी वसूली के लिए या उस प्रतिभूति के प्रवर्तन अथवा संविदाकार की चूक के कारण किए गए व्यय भी शामिल हैं। संविदाकार एतद्वारा प्रसविंदा करता है तथा तदनुसार उधार की राशि लौटाने के लिए नियोक्ता से करार करता है।
8. रूपये.....की राशि जैसाकि उपर बताया गया है उधार ली गई राशि या राशियों और इस विलेख के अंतर्गत देय समस्त लागत प्रभार, क्षति और खर्च की राशि नियोक्ता को लौटाने के साथ वह समस्त सामग्री का मूल्य ले लेता है परन्तु एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है और घोषणा की जाती है कि उक्त करार में किसी भी बात के बावजूद और उनमें दिए गए अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब कभी भुगतान और प्रतिसंदाय के लिए प्रसविंदा किया जाए तो उसे लागू किया जायेगा। और देय राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। नियोक्ता इसके पश्चात् किसी भी समय निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक या सबको जैसा वह ठीक समझे अपना सकता है:-
 - (क) उक्त करार में इस निर्मित दिए गए उपबंधों के अनुसार संविदाकार की ओर से उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने में उक्त सामग्री या उसके किसी भाग का अभिग्रहण करना और ऐसे उपयोग में लाना तथा इस प्रकार के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में प्रभावी वास्तविक लागत संविदाकार के खर्च में लिखना और इस विलेख के अन्तर्गत उधार की राशि के संबंध में देय राशि बताना और किए गए निर्माण कार्य की लागत के संबंध में संविदाकार को यह श्रेय प्रदान करना कि उसने उक्त करार के अनुसार प्रदत्त मूल्य पर निर्माण कार्य किया है। यदि संविदाकार की तरफ कोई बकाया राशि शेष है तो वह उसे नियोक्ता को उसी मांग पर वापस कर देगा।
 - (ख) अभिग्रहीत सामग्री या उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा हटाना या उसे बेचना और उसकी बिक्री से प्राप्त राशि को नियोक्ता को लौटाए जाने के लिए इस विलेख के अंतर्गत रोक रखना (प्रतिधारित करना) और अधिशेष (यदि कोई हो) का भुगतान संविदाकार को करना।
 - (ग) प्रतिभूति जमा राशि में से समस्त राशि या उसके किसी भाग या उक्त करार के अंतर्गत संविदाकार को देय राशि की कटौती करना।

9. संविदाकार की ओर से हुई इन चूकों के अलावा जैसाकि उपर कहा गया उक्त उधार की राशि पर ब्याज की राशि देय नहीं होगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप.....और.....से नियोक्ता के आदेश व निदेशानुसार उपर लिखित तारीख और वर्ष में अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

संविदाकार ने

हस्ताक्षर

नाम

पता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मोहर लगाई और परिदात किया नियोक्ता के आदेश व निर्देशानुसार

हस्ताक्षर

नाम

पता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

कार्य निष्पादन गारन्टी

सेवा में,

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

1. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संबंध में (इसमें आगे द काउंसलिंग कहा गया है) दिया गया कार्य मैसर्ज.....एक कम्पनी जो सोसायटी रजिस्टर्ड एक्ट 1956 के अधीन एवं पंजीकृत सोसायटी है।

ठेकेदार की स्थल अधीक्षणता

ठेकेदार द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किया गया स्टाफ :

ठेकेदार को कार्य के दौरान निम्नलिखित टैक्नीकल स्टाफ नियुक्त करना होगा:-

(क) बिल्डिंग तथा सड़क कार्य के लिए :

1. एक ग्रेजुएट इंजीनियर, जब कार्य का संविदा मूल्य रू. 10 लाख से अधिक हो।
2. एक प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर (ओवरसियर) कम से कम तीन साल के अनुभव के साथ। जब कार्य का संविदा मूल्य रू. 5 लाख से अधिक हो तथा रू. 10 लाख से कम हो।
3. एक प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर जब संविदा मूल्य रू. 2 लाख से अधिक हो तथा रू. 5 लाख से कम हो।

(ख) पानी तथा स्नेटरी कार्यों के लिए प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर कम से कम 1 साल के अनुभव के साथ, जब कार्य का संविदा मूल्य रू.50 हजार से अधिक हो।

(ग) विद्युत कार्यों के लिए :

1. एक प्रशिक्षित ग्रेजुएट इंजीनियर जिसके पास विद्युत आभियांत्रिकी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हो तथा अनुभव कम से कम 3 साल का हो या एक विद्युत आभियांत्रिकी में डिप्लोमा होल्डर, अनुभव कम से कम 7 साल का हो जब कार्य का संविदा मूल्य रू.1.5 लाख से कम न हो।
2. एक ग्रेजुएट विद्युत इंजीनियर, कम से कम 2 साल के अनुभव के साथ या विद्युत आभियांत्रिकी में डिप्लोमा होल्डर कम से कम 3 साल के अनुभव के साथ जब कार्य का संविदा मूल्य रू.75 हजार से अधिक हो तथा रू. 1.5 लाख से कम हो।
3. विद्युत आभियांत्रिकी में डिप्लोमा होल्डर कम से कम 3 साल के अनुभव के साथ जब कार्य का संविदा मूल्य रू. 37 हजार से अधिक हो तथा रू. 75 हजार से कम हो।
4. एक लाइसेंस सुपरवाइजर कम से कम 3 साल के अनुभव के साथ जब कार्य का संविदा मूल्य रू. 7500 से अधिक तथा रू. 37 हजार से कम हो।

(घ) यदि ठेकेदार उपरोक्त वर्णित टैक्नीकल स्टाफ को रखने में असफल पाया जाता है तो उसे निम्नलिखित राशि (नीचे दी गई राशि से अधिक न हो) प्रत्येक महीने के डिफाल्ट के रूप में देनी होगी। यह रिकवरी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आधार पर सी.एस.आई.आर द्वारा बदली जा सकती हैं।

1. यदि ग्रेजुएट इंजीनियर नियुक्त न किया हो.....रू.3000/
2. यदि प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर नियुक्त किया जाना चाहिए.....रू.1500/
3. यदि टैक्नीकल सुपरवाइजर नियुक्त किया जाना हो.....रू.750/

सीमेंट और सरिये के लिए शर्तें

सीमेंट के लिए शर्तें:-

1. ठेकेदार, एसीसी एल एण्ड टी, जेपी रिब, विक्रम, श्री बिड़ला जूट, सीमेंट कापोरेशन ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित निर्माता या उनके अधिकृत विक्रेता जो कि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा जिसकी प्रतिवर्ष एक मिलियन टन उत्पादन क्षमता हो 33 ग्रेड (आई एस: 269 के अनुरूप) या 43 ग्रेड (आई एस. 8112 के अनुरूप) सामान्य पोर्टलेण्ड सीमेंट जब भी आवश्यकता होगी की ही खरीदेगा तथा जिनके पास आई. एस. आई. प्रमाणित उत्पाद के लाइसेंस हो तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा उनका नाम अनुमोदित हो। सीमेंट की आपूर्ति 50 कि.ग्रा. के बेग में करनी होगी। जिसमें निर्माता का नाम तथा आई. एस. आई. का चिन्ह हो। ठेकेदार द्वारा खरीदे गये सीमेंट को प्रभारी इंजीनियर द्वारा बी. आई. एस. कोड के प्रावधानों के अनुरूप जांचा जाएगा। परीक्षण के दौरान यदि यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित सीमेंट भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप नहीं है तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा प्रभारी इंजीनियर के लिखित आदेश के एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को अपने निजी खर्च पर कार्यस्थल से हटाना होगा।
2. लगभग 20 टन या प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित सीमेंट को कार्यस्थल पर लाना होगा।
3. ठेकेदार को 800 बेग क्षमता या प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित क्षमता का एक सीमेंट गोदाम कार्य स्थली पर बनाना होगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। गोदाम में दो तालों का प्रावधान रखना होगा। एक ताले की चाबी प्रभारी इंजीनियर या प्रतिनिधि के पास रहेगी तथा दूसरे ताले की चाबी ठेकेदार के पास रहेगी। गोदाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर को कभी भी निरीक्षण के लिए सहयोग करना होगा।
4. ठेकेदार को परीक्षण के लिए सीमेंट निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण की लागत भी ठेकेदार को वहन करनी होगी।
5. निविदा के खंड 6 के प्रावधानों के अनुसार कार्य में वास्तविक जारी तथा उपयोग किये गये सीमेंट का नियंत्रित तथा पूरा हिसाब किताब रखना होगा। निविदा के खंड 6 के प्रावधानों तथा उसमें निहित शर्तों के अनुसार ही सीमेंट के सैद्धांतिक उपयोग की परख/गणना की जाएगी।
6. कार्यस्थल में लाया गया तथा उपयोग न किए गये सीमेंट को प्रभारी इंजीनियर के लिखित आदेश के बिना नहीं हटाया/उठाया जाएगा।

सरिये के लिए शर्तें

1. ठेकेदार भारतीय मानक ब्यूरो कोड के अनुरूप प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित निर्माता या उसके अधिकृत विक्रेता से सरिये की सुदृढ़ छड़ें खरीदेगा। ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाए गए सारे सरिये की आपूर्ति का प्रभारी इंजीनियर को परीक्षण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा। ठेकेदार द्वारा खरीदे गये सरिये को प्रभारी इंजीनियर को कोड के प्रावधानों के अनुरूप जांचा जाएगा। परीक्षण के दौरान यदि यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित सरिया भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप नहीं है तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा प्रभारी इंजीनियर के लिखित आदेश के एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को अपने निजी खर्च पर कार्यस्थल से हटाना होगा।
2. लगभग 10 टन और ज्यादा भी या प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित सरिये की छड़ों को कार्यस्थल पर लाना होगा।
3. ठेकेदार को सरिये की छड़ों को कार्य स्थल के पास इस प्रकार से भण्डारित करना होगा जिससे कि सरिये में विकृति या जंग न आ जाए जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विभिन्न आकार के सरिये की छड़ों को अलग-अलग रखना होगा ताकि इसकी गणना तथा जांच करने में आसानी हो।
4. नाममात्र के आकार/हिस्से, तनन बल (tensile strength) झुकाव/मुड़ाव परीक्षण (bend test), पुन झुकाव/मुड़ाव परीक्षण (rebend test), विभिन्न आकारों के सरिये से पर्याप्त आकार की छड़ कहीं से भी काट ली जा सकती है जिसका विवरण इस प्रकार है।

छड़ का आकार	100 टन से कम प्रेषित माल के लिए	100 टन से ज्यादा प्रेषित माल के लिए
10 एम एम डायामेटर से कम	25 टन या उसके भाग से एक नमूना	40 टन या उसके भाग से एक नमूना
10 से 16 एम एम डायामेटर	35 टन या उसके भाग से एक नमूना	45 टन या उसके भाग से एक नमूना
16 एम एम डायामेटर से अधिक	45 टन या उसके भाग से एक नमूना	50 टन या उसके भाग से एक नमूना

5. ठेकेदार को परीक्षण के लिए सरिया निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण की लागत भी ठेकेदार को बहन करनी होगी।
6. निविदा के खंड 6 के प्रावधानों के अनुसार कार्य में वास्तविक जारी तथा उपयोग किए गये सरिये का नियंत्रण तथा पूरा हिसाब किताब रखना होगा। निविदा के खंड 6 के प्रावधानों तथा उसमें निहित शर्तों के अनुसार ही सरिये के सैधांतिक उपयोग की परख/गणना की जाएगी।
7. कार्यस्थल में लाया गया तथा उपयोग न किए गये सरिये को प्रभारी इंजीनियर के लिखित आदेश के बिना नहीं हटाया/उठाया जाएगा।

NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

SCHEDULE OF QUANTITY - (VOL-2)

Name of work :- Provision of Interlocking block for parking area near TEC bldg. at NPL Campus.

Note :- Please quote rate in figure as well as words.

Please carry forward the total on last page.

It. No.	Details of work	Quantity	Unit	Rate in figure	Rate in words	Amount
1	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead.	37.00	Sqm			
2	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 fine sand)	37.00	sqm			
3	Brick work with common burnt clay modular bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand).	1.00	cum			
4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:1:2 (1 Cement : 1 coarse sand : 2 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	1.00	cum			
5	1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	2.00	cum			
6	Providing and laying 60 mm thick factory made cement concrete interlocking paver block of M-35 grade (confirming to IS : 15658 : 2006) made by block making machine with strong vibratory compaction, using PU/rubber mould of approved size, design & shape, laid in required colour and pattern over and including 20 mm thick bed of cement mortar of 1:4 (1 Cement : 4 coarse sand) including grouting of joints with cement slurry of matching colour. All complete as per the direction of engineer in charge. Make Hindustan Tiels/NIMCO Tiles/ NITCO/NTC.	502.00	sqm			

It. No.	Details of work	Quantity	Unit	Rate in figure	Rate in words	Amount
7	Finishing walls with Premium Acrylic Smooth exterior paint with Silicone additives of required shade : New work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20 kg/ 10 sqm)	37.00	sqm			
8	Painting road surface marking with adequate nos of coats to give uniform finish with ready mixed road marking paint conforming to IS : 164, on bituminous surface in white/yellow shade, including cleaning the surface of all dirt, scales, oil, grease and foreign material etc. complete. New work (Two or more coats) (in 100 mm wide strips for making of parking).	35.00	sqm			
9	Providing and fixing in position pre-cast R.C.C. manhole cover and frame of required shape and approved quality. L D- 2.5. Rectangular shape 600x450 mm internal dimensions.	2.00	each			

Total = (.....)

Rupees in words (.....)

Signature of contractor
with date